कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड़, हल्द्वानी।

पत्रांक संख्या : 1163 /4–122/2018–19 The Industrial Relations Code, 2020 दिनांक : 25/2/2021

निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे राज्य सरकार सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा–24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा–99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा –

(i) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली, 1958,

(ii) उत्तर प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) नियमावली, 1946,

(iii) उत्तर प्रदेश व्यवसाय संघ नियम, 1927

(iv) औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा श्रम न्यायालय प्रक्रिया नियमावली, 1967

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–5ग के अन्तर्गत)

के अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यों को अथवा किए जाने को छोड़कर, एतदद्वारा अधिसूचित करती है, जो उक्त संहिता की धारा–99 के अन्तर्गत इससे प्रभावित होने की सम्भावना वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ एवं एतदद्वारा नोटिस दी जाती है कि उपर्युक्त प्रारूप नियमों को आम जनता के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्य प्रकार से उपलब्ध होने की तिथि से पन्द्रह दिवसों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड़, हल्द्वानी को पंजीकृत डाक या ई0–मेल lcukhld0@gmail.com पर भेजा जा सकता है।

(दीप्ति सिंह)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड

<u>प्रारूप नियम</u>

उत्तराखण्ड औद्योगिक सम्बंध नियम, 2021

अध्याय 1

प्रारंभिक

1— संक्षिप्त शीर्षक, आवेदन एवं प्रारम्भ—

(i) इन नियमों को उत्तराखण्ड औद्योगिक सम्बंध नियम, 2021 कहा जायेगा।

(ii) ये उत्तराखण्ड राज्य के समस्त औद्योगिक एवं व्यवसायिक स्थापनों जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, विस्तारित होते हैं।

(iii) वे सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगें।

1 क— परिभाषा— (1) इस नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः —

(क) **'संहिता'** का अर्थ 'औद्योगिक सम्बंध संहिता 2020 है,

(ख) **'धारा'** का अर्थ' संहिता की धारा है;

(ग) **'इलेक्ट्रॉनिक रूप से'** का अर्थ है, संहिता के निहितार्थ कोई सूचना जिसे ई0 मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया हो अथवा जिसे विर्निदिष्ट पोर्टल पर अपलोड किया गया हो अथवा किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान किया गया हो।

(घ) **'सुलहकर्ता अधिकारी'** का अर्थ है, ऐसे किसी अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा संहिता की धारा—43 (1) एवं (2) के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया हो।

(2) इन नियमों प्रयुक्त शब्द और भाव जो कि परिभाषित नहीं हैं, लेकिन संहिता में परिभाषित हैं, उनके संबंधित अर्थ संहिता में प्रदान किये जायेगें।

2— धारा (2) के खंड (यझ) के अधीन सुलह अधिकारी के समक्ष निपटान के लिए लिखित अनुबंध—

नियोक्ता और कामगार के बीच लिखित समझौते के लिए धारा 2 के खंड (यझ) के तहत करार निर्दिष्ट **प्रपत्र—क** में होगा और इस करार में पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और जिसकी एक प्रति संबंधित सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी।

अध्याय 2

द्वि–पक्षीय मंच

3– धारा 3 के तहत वर्क्स कमेटी का गठन– (1) प्रत्येक नियोक्ता जिसे धारा 3 की उप–धारा (1) के संबंध में आदेशि दिया गया है, वह तुरन्त जैसा निम्नलिखित उपनियमों में निर्दिष्ट किया गया है, के तरीके से वर्क्स कमेटी के गठन की कार्यवाही करेगा।

(2) कमेटी का गठन करने वाले सदस्यों की संख्या ऐसे तय की जाएगी ताकि विभिन्न श्रेणियों, समूहों और कामगारों के वर्ग, और श्रेणी, दुकानों या विभागों के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकेः

बशर्ते कि, वर्क्स कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगीः

आगे यह उपबंध किया गया है कि वर्क्स कमेटी में कामगारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।

(3) इस नियम के प्रावधानों के अधीन, वर्क्स कमेटी में नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा जहां तक संभव हो सके औद्योगिक प्रतिष्ठानों के जिन अधिकारियों के साथ कर्मचारीगण साथ काम कर रहे हों अथवा सीधे सम्पर्क में हों, नामित किया जाएगा।

(4) (क) जहाँ औद्योगिक स्थापन का कोई भी कामगार पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य है, तो नियोक्ता ऐसे ट्रेड यूनियन से उसे लिखित रूप में सूचित करने के लिए कहेगा–

(क) कितने कर्मचारी ऐसे ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, तथा

(ख) जहां किसी नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा खंड (क) के तहत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के ट्रेड यूनियन को सूचित करने के बाद, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त को इस मामले को संदर्भित कर सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद एक रिपोर्ट श्रम आयुक्त को प्रेषित करेगा। श्रम आयुक्त मामले का निर्णय करेंगे तथा जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप–नियम (4) के तहत मांगी गई सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्न दो समूहों में कमेटी में कामगारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए इसे उपलब्ध कराएगा, अर्थात्ः –

(क) पंजीकृत ट्रेड यूनियन अपनी सदस्यता के अनुपात में वर्क्स कमेटी के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

(ख) जहां कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, कामगार वर्क्स कमेटी के लिये स्वंय को प्रतिनिधि चुन सकते हैं।

(6) (क) वर्क्स कमेटी में अपने पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव तथा एक संयुक्त सचिव होंगे। सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव प्रति वर्ष किया जाएगा जैसा कि धारा 6 (ख), 6 (ग) व 6 (घ) में दिया गया है।

(ख) अध्यक्ष को नियोक्ता द्वारा वर्क्स कमेटी में नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामित किया जाएगा और जहां तक संभव हो, औद्योगिक स्थापन का प्रमुख होगा।

(ग) सदस्यों द्वारा कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाली वर्क्स कमेटी में उपाध्यक्ष को उनके बीच से ही चुना जाएगा।

बशर्ते कि, उपाध्यक्ष के चुनाव में वोटों की समानता की स्थिति में, इस मामले का निर्णय ड्रा के अनुसार किया जाएगा।

(घ) वर्क्स कमेटी अपने सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी, बशर्ते कि सचिव को नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है तो संयुक्त सचिव को कामगारों के प्रतिनिधियों और विलोमतः चुना जाएगा :

बशर्ते कि, सचिव या संयुक्त सचिव के पद परे, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि दो वर्षों तक लगातार नहीं बने रहेगें :

बशर्ते कि, नियोक्ता के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जैसा भी मामला हो, कामगारों के प्रतिनिधियों के बीच से और केवल कामगार के प्रतिनिधि ही ऐसे चुनावों में मत देने के हकदार होंगे।

(ङ) मतों की समानता की स्थिति में खण्ड (घ) के तहत किसी भी चुनाव में, यह मामला पर्ची निकाल कर तय किया जाएगा।

(7) (क) एक आकस्मिक रिक्ति को भरने हेतु चुने गए सदस्य के अलावा वर्क्स कमेटी के प्रतिनिधियों की पदावधि दो वर्ष की होगी;

(ख) आकस्मिक रिक्ति भरने हेतु चुना गया सदस्य अपने पूर्ववर्ती के अवशेष कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

(ग) एक सदस्य जो वर्क्स कमेटी से अवकाश लिये बिना, कमेटी की तीन लगातार बैठकों में भाग लेने में विफल रहता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

(8) कामगार के प्रतिनिधि को उप–नियम (7) के खण्ड (ग) के तहत सदस्य होने या उसके इस्तीफे, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में नियोजित किये जाने की स्थिति में उसका उत्तराधिकारी होना

चाहिए। इस नियम के प्रावधानों के अनुसार उसके उत्तराधिकार को उसी समूह में से चुना जाएगा, जिससे सीट खाली करने वाला सदस्य सम्बन्धित होगा।

(9) वर्क्स कमेटी को परामर्शदात्री क्षमता में सहयोजन का अधिकार होगा जो औद्योगिक स्थापन में कार्यरत व्यक्तियों के पास किसी मामले के विशेष या विशिष्ट जानकारी पर चर्चा के तहत होगा। इस तरह के स्वचयनित सदस्य वोट करने के हकदार नहीं होगे और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित होगें जिसके दौरान वर्क्स कमेटी के समक्ष विशेष प्रश्न विचाराधीन हों।

(10) (क) वर्क्स कमेटी जितनी बार आवश्यक हो, बैठक बुला सकती है, लेकिन यह तीन महीने में कम से कम एक बार से अधिक नहीं होगी।

(ख) वर्क्स कमेटी अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया को विनियमित करेगी।

(11) (क) नियोक्ता कमेटी की बैठक आयोजिक करने के लिए स्थान प्रदान करेगा व वर्क्स कमेटी व उसके सदस्यों को वर्क्स कमेटी के कार्यों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक सुविधांए भी उपलब्ध कराएगा। वर्क्स कमेटी सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित औद्योगिक स्थापन के कार्य के समय में बैठक करेगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कामगार के प्रतिनिधि को डयूटी पर माना जाएगा;

(ख) वर्क्स कमेटी के सचिव, अध्यक्ष की पूर्व सहमति से, औद्योगिक स्थापन के नोटिस बोर्ड पर कार्य समिति के कार्य के बारे में हिन्दी एवं अंग्रेजी में नोटिस लगा सकते हैं।

(ग) नियोक्ता वर्क्स कमेटी के गठन या मौजूदा गठित समिति में किसी भी परिवर्तन की सूचना दो सप्ताह के भीतर, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त तथा राज्य के श्रम आयुक्त को देगा।

4– धारा 4 की उप–धारा (2) के तहत शिकायत निवारण समिति के लिए नियोक्ताओं और श्रमिकों से सदस्यों को चुनने की रीति– (1) शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या समान होगी तथा जो दस से अधिक नहीं होगी।

(2) नियोक्ता के प्रतिनिधियों को नियोक्ता द्वारा नामित किया जाएगा और जहां तक संभव हो सकता है, औद्योगिक प्रतिष्ठान के कामकाज के साथ सीधे संपर्क में या उससे संबंधित अधिकारी हो सकते हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान के मुख्य विभाग के प्रमुखों को अधिमान दिया जायेगा।

(3) श्रमिकों के प्रतिनिधियों को पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा चुना जाएगा। मामले में कोई पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं होने पर सदस्यों को औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों द्वारा चुना जा सकता हैः

बशर्ते कि, शिकायत निवारण समिति में महिला श्रमिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा तथा इस तरह का प्रतिनिधित्व औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल श्रमिकों के सापेक्ष महिला श्रमिकों के अनुपात से कम नहीं होगाः

यह भी उपबंध है कि शिकायत निवारण समिति के सदस्यों का कार्यकाल पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्यों के कार्यकाल के साथ साथ समाप्त होगा।

बशर्ते कि, पंजीकृत ट्रेड यूनियन की अनुपस्थिति में, शिकायत निवारण समिति के सदस्यों का कार्यकाल शिकायत निवारण समिति के गठन की तारीख से दो वर्ष की अवधि हेतु होगा।

(4) जहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान के कोई भी श्रमिक पंजीकृत ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं, नियोक्ता ऐसे ट्रेड यूनियन को लिखित रूप में उसे सूचित करने के लिए कहेगा कि–

(क) कितने कामगार ऐसी ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं;

(ख) जहां एक नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा खंड (क) के तहत उसे दी गई जानकारी गलत है, तो वह इस तरह के ट्रेड यूनियन को सूचित करने के बाद, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त को मामले को संदर्भित करेगा, जो संबंधित पक्षों को सुनने के बाद श्रम आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजेगा, जो इस मामले में निर्णय करेगा तथा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

5– धारा 4 की उप–धारा (5) के अधीन किसी भी पीड़ित कार्यकर्ता द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी भी विवाद के संबंध में आवेदन– कोई भी पीड़ित श्रमिक शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपना विवाद बताते हुए आवेदन दायर कर सकता है। नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड, विभाग जहां पोस्ट किया गया है, वर्षों में सेवा की अवधि, कार्यकर्ता की श्रेणी, पत्राचार के लिए पता, संपर्क नंबर, शिकायतों का विवरण और राहत मांगी गई है। इस तरह के आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा भेजा जा सकता है। शिकायत उस तारीख से 1 वर्ष के भीतर उठाई जा सकती है जिस दिन इस तरह के विवाद का कारण बनता है।

6– धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन समाधान अधिकारी को शिकायत निवारण समिति के निर्णय के अनुसार शिकायत के निराकरण हेतु आवेदन दाखिल करने की रीति– कोई भी कार्यकर्ता जो शिकायत निवारण समिति के फैसले से असंतुष्ट है या जिसकी शिकायत आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा हल नहीं की जाती है, साठ दिनों की अवधि के भीतर शिकायत निवारण समिति के निर्णय की तारीख या उस तारीख से जिस पर धारा 4 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, जैसा कि मामला हो सकता है, ट्रेड यूनियन के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्र के समाधान अधिकारी को

जिसमें वह एक सदस्य है या व्यक्तिगत रूप से पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलैक्ट्रानिक माध्यम से आवेदन दाखिल कर सकता है,

बशर्ते कि ऐसे आवेदन को मैनुअल रूप से या पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त होने पर, समाधान अधिकारी आवेदन को डिजिटलीकृत करेगा तथा संबंधित कामगार के आवेदन को आनलाईन प्रणाली में प्रविष्ट करेगा और इसकी सूचना सम्बन्धित कामगार को देगा।

अध्याय 3

ट्रेड यूनियन

7.व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार एवं अन्य अधिकारी (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति को व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार और अन्य व्यक्तियों को अपर व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार, संयुक्त व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार और उप व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकती है, जो रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जैसा कि राज्य सरकार संहिता की धारा–5 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना द्वारा समय–समय पर विर्निदिष्ट करे।

(2) राज्य सरकार के द्वारा किये गये किसी आदेश के उपबंधो के अधीन रहते हुये, जहां कोई अपर व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार, संयुक्त व्यवसाय संध रजिस्ट्रार या उप व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार उस क्षेत्र में जिसमें किसी व्यवसाय संघ का कार्यालय स्थित है, रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करेगें और कर्तव्यों का पालन करते हैं, वहां ऐसे अपर व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार या संयुक्त व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार या उप व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार को इस संहिता के प्रयोजनों के लिये उस व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार समझा जायेगा।

8.रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन (1) किसी व्यवसाय संघ के कोई सात या अधिक सदस्य व्यवसाय संघ के नियमों को उनके नाम के हस्ताक्षर द्वारा और अन्यथा इस संहिता के उपबंधो के अनुपालन द्वारा रजिस्ट्रीकरण के संबंध में, इस संहिता के अधीन व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन कर सकेगें।

(2) कामगारों का कोई व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकरण करने के आवेदन की तारीख पर रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायेगा, जब तक ऐसे व्यवसाय संघ के, जिससे वह संबंधित है, के साथ स्थापन या उद्योगों में लगे हुये या नियोजित कर्मकारों के कम से कम दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार, इसमें से जो भी कम हो, उसके सदस्य न हों।

(3) जहां किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिये उप धारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, वहां ऐसा आवेदन, केवल इस तथ्य के आधार पर कि आवेदन की तारीख के पश्चात किसी समय पर किन्तु व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण से पहले कुछ आवेदक, किन्तु उन व्यक्तियों की कुल संख्या के आधे से

अधिक नहीं जिन्होनें आवेदन किया था, व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं रहे हैं या जिन्होनें आवेदन से उनका असम्बद्ध होने की रजिस्ट्रार को लिखित सूचना दी है, अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

(4) कामगारों के रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ में सदैव सदस्यों की संख्या, किसी स्थापना या उद्योग में लगे हुये या नियोजित कम से कम सात सदस्यों के अधीन रहते हुये कर्मकारों के कम से कम दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार, इनमें से जो भी कम हो, होगी।

9. व्यवसाय संघ के नियमों में रखे जाने वाले प्रावधान : कोई व्यवसाय संघ, इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक कि व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का इस संहिता के उपबंधो के अनुसार गठन न किया गया हो और व्यवसाय संघ के नियम निम्नलिखित विषयों के लिये उपबंध न करते हों, अर्थात :—

(क) व्यवसाय संघ का नाम,

(ख) वे सभी उददेश्य जिनके लिये व्यवसाय संघ स्थापित किया गया है,

(ग) वे सभी प्रयोजन जिनके लिये व्यवसाय संघ की साधारण निधियां उपयोज्य होगी, जो सभी प्रयोजन ऐसे प्रयोजन होंगे जिनके लिये निधियां इस संहिता के अधीन विधिपूर्वक उपयोजित की जा सकती हैं,

(घ) व्यवसाय संघ के सदस्यों की सूची का रखा जाना और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा उसके निरीक्षण के लिये पर्याप्त सुविधायें,

(ड़) ऐसे साधारण सदस्यों का प्रवेश (उनके शिल्प या प्रवर्ग को विचार में लाये बिना) जो, यथास्थिति, ऐसे स्थापन, उपक्रम या उद्योग या किसी स्थापन की इकाईयों, शाखाओं या कार्यालयों में, जिससे वह व्यवसाय संघ सम्बन्धित है, वस्तुतः लगे हुये या नियोजित व्यक्ति होंगे, और ऐसे मानद या अस्थायी संख्या वाले सदस्यों का प्रवेश जो ऐसे कर्मकार नहीं हैं जो धारा—21 के अधीन व्यवसाय संघ की कार्यपालिका बनाने के लिये पदाधिकारियों के रूप में अनुज्ञात हैं,

(च) व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा चन्दा, जो निम्न से कम नहीं होगा :

(i) रू0 50.00 प्रति वर्ष प्रति ग्रामीण कामगार,

(ii) रू0 100.00 प्रति वर्ष प्रति असंगठित कामगार,

(iii) रू0 150.00 प्रति वर्ष प्रति कामगार अन्य मामलों में।

(छ) वे शर्तें, जिनके अधीन कोई सदस्य किसी ऐसे फायदे का हकदार होगा जिसका आश्वासन नियमों द्वारा दिया गया है और जिनके अधीन किसी सदस्य पर कोई जुर्माना या समपहरण अधिरोपित किया जा सकेगा,

(ज) व्यवसाय संघ के सदस्यों की वार्षिक साधारण निकाय बैठक, ऐसी बैठक में किये जाने वाला कामकाज, जिसके अंतर्गत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन भी है,

(झ) वह रीति जिसमें व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के सदस्यों का और अन्य पदाधिकारियों का प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार चुनाव किया जाना और उन्हें हटाया जाना और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना,

(ञ) लेखा परीक्षक : (1) इस नियम के उप–नियम (2), (3), (4) एवं (5) के उपबंधो को छोड़कर व्यवसाय संघ का वार्षिक लेखा परीक्षण भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–144(1) के अन्तर्गत अधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

(2) जहां व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या किसी वित्तीय वर्ष में 2500 से अधिक न हो, लेखों का वार्षिक लेखा परीक्षण कराया जा सकता है :–

(क) स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी स्थानीय निधि के लेखा परीक्षक द्वारा,

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति जोकि राजकीय सेवा में रहा हो एवं प्रतिमाह रू0 200.00 से कम पेंशन प्राप्त कर रहा हो, के द्वारा

(3) जहां व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या किसी वित्तीय वर्ष में 750 से अधिक न हो, लेखों का वार्षिक लेखा परीक्षण किया जा सकता है :–

(क) किन्हीं ऐसे दो व्यक्तियों जो कार्यरत मजिस्ट्रेट, या दण्डाधिकारी या किसी स्थानीय निकाय, जिला परिषद या विधायी निकाय के सदस्यों द्वारा, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति जोकि राजकीय लेखा परीक्षा या लेखा विभाग में कार्यरत रहा हो एवं रू0 75.00 प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहा हो, के द्वारा, या

(ग) किसी को–आपरेटिव सोसाईटी के लेखा परीक्षण हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा, या

(घ) रजिस्ट्रार को–आपरेटिव सोसाईटी या इस प्रयोजन से राजकीय मान्यता प्राप्त किसी राज्य को–आपरेटिव संगठन के द्वारा।

(4) जहां व्यवसाय संघ की किसी वित्त वर्ष में किसी समय सदस्यों की संख्या 250 से अधिक न हो, वार्षिक लेखा परीक्षण संघ द्वारा इस उददेश्य से नियुक्त दो सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।

(5) छूट : उप नियम (ञ) में सम्मिलित किसी चीज के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसे वर्ष के दौरान किसी भी समय निधि के किसी भाग या व्यवसाय संघ की प्रतिभूतियों के कार्य को सौंपा गया हो, संघ के लेखों के परीक्षण के योग्य नहीं होगा।

(ट) लेखा परीक्षण : नियमों के अनुसार नियुक्त लेखा परीक्षक या परीक्षकों को व्यवसाय संघ की सभी पुस्तकों तक पहुंच दी जाएगी और वार्षिक विवरण का, सम्बन्धित हिसाब किताब और बीजकों के साथ मिलान कर सत्यापन किया जायेगा और उसके उपरांत **प्रपत्र–च** में अलग से इंगित करते हुए वह या वे एक विवरणी जिसमें उनके द्वारा त्रुटिपूर्ण विवरण, बिना बीजक के या संहिता के अनुसार न पाये जाने का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर करेंगे। इस विवरणी में निम्नानुसार विवरण दर्शाये जाऐगे :–

(क) प्रत्येक भुगतान जो व्यवसाय संघ के नियमों या संहिता के प्रावधानों के विपरीत हों,

(ख) धनराशि की कमी या हानि जो किसी व्यक्ति की लापरवाही या कदाचार के द्वारा किया जाना प्रतीत हो,

(ग) धनराशि जो किसी व्यक्ति द्वारा खाते में लाई जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं लाई गयी।

(ठ) राजनीतिक निधि का लेखा परीक्षण : पंजीकृत व्यवसाय संघ की राजनैतिक निधि का लेखा परीक्षण सामान्य निधि के लेखा परीक्षण के साथ–साथ उन्हीं लेखा परीक्षक/परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

(ड) निरीक्षण : (1) व्यवसाय संघों की धारित पंजिका का निरीक्षण किसी भी व्यक्ति द्वारा शुल्क रू0 50.00 का भुगतान पर किया जा सकेगा।

(2) पंजीकृत व्यवसाय संघ से प्राप्त किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण उस व्यवसाय संघ के किसी भी सदस्य द्वारा शुल्क रू0 50.00 प्रति दस्तावेज का भुगतान किये जाने पर, किया जा सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को रजिस्ट्रार द्वारा इस उददेश्य से निश्चित कार्य के घण्टों के दौरान दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकेगा।

(4) पंजीकृत व्यवसाय संघ या उसके सदस्य को रू0 2.00 प्रति पेज के भुगतान पर किसी भी दस्तावेज की सत्यापित प्रति की आपूर्ति की जा सकती है।

10. (1) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रार को **प्रपत्र–ख** में इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा किया जायेगा और उसके साथ निम्नलिखित होंगे :

(क) अनुसूची–1 के अनुसार शीर्षक, नाम, आयु, पता एवं व्यवसाय। एक शपथ पत्र द्वारा की जाने वाली घोषणा,

(ख) व्यवसाय संघ के नियमों की प्रति के साथ ऐसे नियम अंगीकृत करने वाले व्यवसाय संघ के सदस्यों के द्वारा संकल्प की प्रति। विविध मामलों से सम्बन्धित प्रावधानों के लिये बनाये गये नियम की संख्या अनुसूची–2 के अनुसार,

(ग) व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा रजिस्ट्रीकरण के आवेदन करने के लिये प्राधिकृत आवेदकों के अंगीकृत प्रस्ताव की प्रति,

(घ) व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क रू0 1000 देय होगा।

(ड़) व्यवसाय संघ के फेडरेशन या व्यवसाय संघों के केन्द्रीय संगठन, होने के मामले में, फेडरेशन के विधान या व्यवसाय संघों के केन्द्रीय संगठन की पृथक बैठक में प्रत्येक सदस्य, व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव जिसमें व्यवसाय संघों के परिसंघ या या केन्द्रीय संगठन गठित करने के अंगीकृत प्रस्ताव की प्रति।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिये, व्यवसाय संघों के सदस्यों द्वारा अंगीकृत प्रस्ताव, व्यवसाय संघ के फेडरेशन या व्यवसाय संघों के केन्द्रीय संगठन, होने के मामले में, प्रत्येक सदस्य व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा पृथक बैठक में अंगीकृत प्रस्ताव से अभिप्रेत है।

(2) जहां व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की तिथि से एक वर्ष पहले से अस्तित्व में है, वहां आवेदन के साथ व्यवसाय संघ की परिसम्पत्तियों और दायित्वों का एक सामान्य विवरण अनुसूची–3 में तैयार कर, देगा।

(3) रजिस्ट्रार स्वयं का यह समाधान करने के लिए कि आवेदन, संहिता के उपबंधो का अनुपालन करता है और व्यवसाय संघ इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार है, और सूचना की मांग कर सकता है तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत किये जाने तक व्यवसाय संघ को रजिस्टर करने से इंकार कर सकता है।

(4) यदि नाम, जिसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकरण करने का प्रस्ताव करता है, वह किसी विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के समरूप है जिससे कि ऐसा नाम जिससे जन सामान्य या किसी भी व्यवसाय संघ के सदस्यों में भ्रम उत्पन्न होने की सम्भावना हो तो रजिस्ट्रार आवेदन करने वाले व्यक्तियों से व्यवसाय संघ के नाम को परिवर्तित करने की अपेक्षा या जब तक ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाता है व्यवसाय संघ को रजिस्टर करने से इंकार कर सकता है।

11 (1) व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण : रजिस्ट्रार, समाधान हो जाने पर कि व्यवसाय संघ द्वारा, इस अध्याय के आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन कर दिया गया है, आवेदन पत्र के साथ प्राप्त व्यवसाय संघ से सम्बन्धित विवरणों की **प्रपत्र–ग** में प्रविष्टि के द्वारा व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दिया जाना : जहां, रजिस्ट्रार, किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का आदेश करता है वहां वह, **प्रपत्र–घ** में आवेदक व्यवसाय संघ को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करेगा, जो इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि व्यवसाय संघ इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

(3) यदि रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तो व्यवसाय संघ के नाम और अन्य विवरणों को, इस निमित्त **प्रपत्र–ग** में बनाये गये रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा।

(4) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का संख्या 35) के प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का संख्या 16) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसका इस संहिता

के प्रारंभ होने की तिथि के तुरंत पूर्व विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है, को संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जायेगा :

परन्तु ऐसा व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रार के पास एक विवरण फाइल करेगा कि व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का गठन संहिता के अनुसरण में है, जिसके साथ व्यवसाय संघ के नियम संहिता की धारा–7 के अनुसरण में अद्यतन हैं, और रजिस्ट्रार अपने अभिलेखों में तदनुसार संशोधन करेगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण निरस्त अथवा वापस लिया जानाः व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र को रजिस्ट्रार द्वारा निम्न कारणों से निरस्त या वापस लिया जा सकता है :–

(क) व्यवसाय संघ के आवेदन प्राप्त होने तथा सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार से इस पर सत्यापन आख्या प्राप्त होने के पश्चात, या

(ख) व्यवसाय संघ द्वारा संहिता या उसके अधीन बनाये गये नियमों या अपने गठन या नियमों के उपबंधो के उल्लंघन के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, या

(ग) यदि वह संतुष्ट है कि व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या कुल कर्मकारों की संख्या के दस प्रतिशत से कम अथवा 100 कर्मकार, जो भी कम हो, है।

बशर्ते कि व्यवसाय संघ के आवेदन से अन्यथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रदद किये जाने से पूर्व व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रदद करने के प्रस्ताव के आधारों को विर्निदिष्ट करते हुये रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ को साठ दिन से अन्यून पूर्व सूचना दी जायेगी।

(6) व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार द्वारा रदद कर दिया जायेगा, जहां किसी न्यायाधिकरण ने ऐसे व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण को रदद करने का आदेश किया है।

(7) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रदद करते समय रजिस्ट्रार ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा और उसकी लिखित सूचना संबंधित व्यवसाय संघ को संसूचित करेगा।

12. अपील : (1) किसी व्यवसाय संघ का, धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से, रजिस्ट्रार के इंकार करने से या उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रदद किये जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे निर्णय/इन्कार किये जाने के आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अन्दर न्यायाधिकरण को अपील कर सकता है।

बशर्ते कि न्यायाधिकरण, इस उपधारा के अधीन अपील करने की परिसीमा के पश्चात, अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि अपीलार्थी न्यायाधिकरण का यह समाधान कर देता है कि ऐसा विलंब पर्याप्त कारण से या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है।

(2) न्यायाधिकरण, संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील को खारिज या रजिस्ट्रार को यह निर्देश देते हुये कि वह व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करे और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रददकरण के आदेश को अपास्त करने वाला आदेश पारित कर सकता है और ऐसे आदेश की एक प्रति पैंतालीस दिनों के अन्दर रजिस्ट्रार को अग्रेषित की जाएगी।

13 संसूचनाएं और नोटिस : (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को सभी संसूचनायें और नोटिस, रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये रजिस्टर में यथाप्रविष्ट व्यवसाय संघ के मुख्यालय के पते पर इलैक्ट्रानिक रूप से या पंजीकृत डाक से भेजे जायेंगे।

(2) यदि व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या कुल कर्मकारों की संख्या के दस प्रतिशत या एक सौ से कम होती है, ऐसे परिवर्तन/तथ्यों के प्रकट होने के 21 दिवसों के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से अथवा पंजीकृत डाक से व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रार को, सूचित करेगा।

(3) व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण के लिये दिये गये आवेदन, दी गयी विशिष्टियों में और उसके गठन या नियमों, में किसी परिवर्तन की सूचना, ऐसे परिवर्तन प्रभावी होने की तिथि से 21 दिवसों के भीतर इलैक्ट्रानिक रूप से या पंजीकृत डाक से सूचित करेगा।

14. प्रत्येक व्यवसाय संघ उस नाम का, जिसके अधीन उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, एक निश्चित निकाय होगा और उसका शाश्वत उतराधिकार होगा, उसकी सामान्य मुद्रा होगी, जिससे उसे चल और अचल सम्पत्ति दोनों को ही अर्जित और धारित करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जायेगा।

15. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघो पर कतिपय अधिनियमों का प्रतिषेध : निम्नलिखित अधिनियमों के प्रावधान, अर्थात –

(क) सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860,

(ख) सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1912,

(ग) बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 2002,

(घ) कम्पनी अधिनियम, 2013, और

(ड़) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत सहकारी सोसाईटियों से सम्बन्धित कोई अन्य तत्स्थानी विधि

किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को लागू न होगे और पूर्वोक्त अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अधीन हुआ ऐसे किसी व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण शून्य होगा।

16. (1) किसी औद्योगिक स्थापन में, जहां कोई व्यवसाय संघ पंजीकृत नहीं है औद्योगिक स्थापन के नियोजक के साथ कुल कामगारों की संख्या के 20 प्रतिशत कामगारों द्वारा या स्थापन के पंजीकृत व्यवसाय

संघ के कार्यकारी समिति के द्वारा हस्ताक्षरित कामगारों की सेवा शर्तों और मांग पत्र पर बातचीत करने के लिये वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद, जैसी भी स्थिति हो, होगी। नियोजक द्वारा ऐसी वार्ताकार परिषद के गठन के दो सप्ताह के अन्दर वार्ताकार परिषद का विवरण क्षेत्र के उप रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ को भेजा जाएगा।

(2) जहां किसी औद्योगिक स्थापन में इस अध्याय के प्रावधानों के अन्तर्गत केवल एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ कार्यरत है, तो ऐसे औद्योगिक स्थापन का नियोजक ऐसे व्यवसाय संघ को कर्मकारों के एकमात्र वार्ताकार संघ के रूप में मान्यता देगा।

(3) यदि किसी औद्योगिक स्थापन में कामगारों के एक से अधिक व्यवसाय संघ कार्यरत हैं, तो औद्योगिक स्थापन की उपस्थिति नामावली के इक्यावन प्रतिशत या अधिक कामगारों द्वारा समर्थित एवं उप रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित व्यवसाय संघ को नियोजक द्वारा कामगारों के एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता दी जायेगी।

(4) यदि किसी औद्योगिक स्थापन में इस संहिता के अधीन एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत कामगारों के व्यवसाय संघ काम कर रहे हैं और ऐसे किसी भी व्यवसाय संघ के पास औद्योगिक स्थापन की उपस्थिति नामावली के इक्यावन प्रतिशत या अधिक कामगारों द्वारा समर्थित नहीं है एवं यह तथ्य उप रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित किया गया है, तो उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषयों पर बातचीत करने के लिये एक वार्ताकारी परिषद का गठन नियोजक द्वारा किया जायेगा, जो ऐसे व्यवसाय संघ के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर बनेगी जिनके पास उस औद्योगिक स्थापन के उपस्थिति नामावली के कुल कामगारों के 20 प्रतिशत कामगारों का समर्थन है और क्षेत्रीय उप रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित है। ऐसे कुल कामगारों के प्रत्येक बीस प्रतिशत के लिये एक प्रतिनिधि होगा और ऐसी संगणना में ऐसे दस प्रतिशत के भाग को गणना में नहीं लिया जायेगा।

(5) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विषय पर किसी नियोजक या उपधारा (4) के अधीन गठित वार्ताकारी परिषद के बीच कोई बातचीत की जाती है तो ऐसी बातचीत के परिणामस्वरूप किसी करार को किया गया कहा जाएगा, यदि उस पर ऐसी वार्ताकारी परषिद में व्यवसाय संघो के प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा सहमति हो जाती है।

(6) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दी गयी कोई मान्यता या उपधारा (4) के अधीन गठित वार्ताकारी परिषद, यथास्थिति, मान्यता या गठन की तारीख से तीन वर्ष के लिये विधिमान्य होगा और इस प्रकार मान्यता प्राप्त किसी व्यवसाय संघ को उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधो के अधीन पुनः मान्यता दी जा सकेगी।

(7) औद्योगिक स्थापन द्वारा किसी वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद को वार्ता के दौरान वार्ता में सम्मिलित प्रतिनिधियों को समुचित स्थान उपलब्ध कराएगा।

17 सामान्य निधि : (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की साधारण निधियों को ऐसे उददेश्यों जिनका उल्लेख व्यवसाय संघ के विधान में किया गया है और उप रजिस्ट्रार के द्वारा सत्यापित है, से भिन्न किन्हीं अन्य उददेश्यों पर खर्च नहीं किया जाएगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ पृथक रूप से उदगृहित किये गये अभिदाय या उस निधि में किये गये अभिदाय से एक पृथक निधि का गठन कर सकेगा, जिससे ऐसे उददेश्य, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के विधान में उल्लिखित है, को अग्रसर करने के लिये उसके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों के संवर्धन करने के लिये संदाय किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन गठित निधि के लिये अभिदाय करने के लिये किसी सदस्य को विवश नहीं किया जायेगा और कोई सदस्य, जो उक्त निधि में अभिदाय नहीं करता है, को व्यवसाय संघ के अन्य सदस्यों की तुलना में (सिवाए उक्त तिथि के नियंत्रण या प्रबंधन के संबंध में) उसके उक्त निधि में अभिदाय न करने के कारण व्यवसाय संघ के किन्हीं फायदों से विवर्जित नहीं किया जाएगा या किसी संबंध में या प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी निःशक्तता या किसी अफायदाप्रद स्थिति में नहीं रखा जाएगा और उक्त निधि में अभिदाय व्यवसाय संघ में शामिल करने के लिए एक शर्त नहीं होगी।

18. कतिपय मामलों में दीवानी दावे का प्रभाव न होना : (1) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसे कार्य के बारे में, जो ऐसे औद्योगिक विवाद को, जिसका व्यवसाय संघ का सदस्य एक पक्षकार है, अनुध्यात करते हुए या उसे अग्रसर करने में किया गया है, उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के या उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य के विरूद्ध किसी सिविल न्यायालय में केवल इसी आधार पर नहीं चलाई जा सकेगी कि ऐसा कार्य नियोजन की संविदा भंग करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय, कारोबार या नियोजन में, या किसी अन्य व्यक्ति के अपनी पूंजी या अपने श्रम को अपनी इच्छानुसार व्यय न करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, किसी औद्योगिक विवाद को अनुध्यात करते हुये या उसे अग्रसर करने में उस व्यवसाय संघ के किसी अभिकर्ता द्वारा किये गये किसी अपकृत्य की बावत किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में दायी नहीं होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति के व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के ज्ञान के बिना या उस कार्यपालिका द्वारा दिये गये अभिव्यक्त अनुदेशों के प्रतिकूल कार्य किया था।

19. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य व्यवसाय संघ के किसी ऐसे उददेश्य को, जो धारा 15 में विर्निदिष्ट है, अग्रसर करने के प्रयोजन के लिये सदस्यों के बीच हुए किसी करार के बारे में, जब तक वह करार किसी अपराध को करने का करार न हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख की उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय नहीं होगा।

20. समझौतों की प्रवर्तनीयता : रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच हुआ करार, किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल इस तथ्य के कारण शून्य या शून्यकरणीय नहीं होगा जो उस करार के उददेश्यों में से कोई उददेश्य व्यापार का अवरोधक है :

बशर्ते कि इस धारा की कोई बात उन शर्तों से संयुक्त किसी करार के भंग के लिए, जिस पर व्यवसाय संघ के कोई सदस्य अपना माल बेचेगें या नहीं बेचेंगे, कारोबार का संव्यवहार करेगें या नहीं करेंगे, काम करेगें या नहीं करेगें, नियोजन करेगें या नहीं करेगें या नियोजित किये जाएगें या नहीं किये जाएगें, नुकसान दिला पाने या वसूल करने के प्रयोजन के लिए संस्थित किसी विधिक कार्यवाही को ग्रहण करने के लिए किसी सिविल न्यायालय को समर्थ नहीं करेगी।

21. व्यवसाय संघ के नियमों का निरीक्षण करने का अधिकार : रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की लेखाबहियां और उसके सदस्यों की सूची व्यवसाय संघ के पदाधिकारी या सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसी समयों पर खुली रहेगी, जो व्यवसाय संघ के नियमों में उपबंधित किए गए हैं।

22. नाबालिगों हेतु सदस्यता का अधिकार : कोई भी व्यक्ति, जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य, उस व्यवसाय संघ के नियमों के अधीन रहते हुए, हो सकेगा और यथापूर्वोक्त अधीन रहते हुए, सदस्य के सभी अधिकारों का उपयोग कर सकेगा और सभी ऐसी लिखतों का निष्पादन कर सकेगा और सभी ऐसे निस्तारण पत्र दे सकेगा, जिनका निष्पादन किया जाना या दिया जाना नियमों के अधीन आवश्यक हो।

23. अयोग्यता : (1) कोई व्यक्ति, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या उसका कोई अन्य पदाधिकारी चुने जाने या बने रहने के लिए अयोग्य होगा, यदि—

(i) उसने अटठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है :

(ii) वह किसी अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्लिप्त हो, भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, जब तक कि छोड़े जाने के पश्चात पांच वर्ष की कालावधि न बीत गई हो,

(iii) न्यायाधिकरण ने यह निर्देश दिया है कि उसमें विर्निदिष्ट अवधि के लिए किसी व्यवसाय संघ के पदाधिकारी चुने जाने या बने रहने के लिए अयोग्य होगा।

(2) मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य या संघ या राज्य में लाभ का कोई पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति (जो किसी ऐसे स्थापन या उद्योग में, जिससे व्यवसाय संघ सम्बन्धित है, वचनबद्ध या नियोजत है) किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या अन्य पदाधिकारी नहीं होगा।

24. विवादों के निपटान की रीति : (1) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की दशा में, जहां विवाद —

(क) एक व्यवसाय संघ और दूसरे व्यवसाय संघ के बीच उदभूत होता है, या

(ख) एक या अधिक कर्मकार जो व्यवसाय संघ के सदस्य हैं और व्यवसाय संघ के संबंध में व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण, प्रशासन या प्रबंध या पदाधिकारियों के निर्वाचन की बावत उदभूत होता है, या

(ग) एक या अधिक ऐसे कर्मकार, जिन्हें सदस्य के रूप में प्रवेश से इंकार किया गया है और व्यवसाय संघ के बीच उदभूत होता है, या

(घ) किसी व्यवसाय संघ की बावत है, जो व्यवसाय संघो का परिसंघ है और इस निमित्त पदाधिकारी को व्यवसाय संघ द्वारा प्राधिकृत किया गया है,

वहां आवेदन ऐसी रीति से जो विहित की जाए, उस क्षेत्र पर जहां व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघो का रजिस्ट्रीकरण कार्यालय स्थित है, ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन की अधिकारिता रखने वाले न्यायाधिकरण को किया जा सकेगा।

(2) न्यायाधिकरण से भिन्न किसी सिविल न्यायालय को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करने की शक्ति नहीं होगी।

25. औद्योगिक स्थापन से जुड़े हुए पदाधिकारियों का अनुपात : (1) किसी असंगठित क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसाय संघ के कुल पदाधिकारयों के आधे से अन्यून व्यक्ति किसी स्थापन या उद्योग में, जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, में वास्तविक रूप से नियोजित होंगे :

परन्तु समुचित सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस धारा के उपबंध इस आदेश में विर्निदिष्ट किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघो के वर्ग को लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए "असंगठित सेक्टर" से कोई सेक्टर जो समुचित सरकार अधिसचूना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है।

(2) उपधारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सभी पदाधिकारी सिवाय कुल पदाधिकारियों की संख्या का एक तिहाई या पांच जो भी कम हो ऐसे व्यक्ति होंगे जो वास्तव में उस स्थापन या उद्योग में लगे हुए या नियोजित होंगे, जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए कोई कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गया है या जिसकी छंटनी कर दी गयी है को किसी व्यवसाय संघ में कोई पद धारण करने के प्रयोजन के लिए बाहरी व्यक्ति नहीं समझा जाएगा।

26. नाम परिवर्तन एवं समामेलन : (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अपने सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून की सम्मति से और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपना नाम परिवर्तित कर सकेगा।

(2) कोई दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ समामेलित हो सकेंगे।

(3) व्यवसाय संघ जो अपना नाम परिवर्तन कर रहा है के सचिव द्वारा और सात सदस्यों द्वारा नाम परिवर्तन करने की दशा में और हर एक और प्रत्येक व्यवसाय संघ जो इसका पक्षकार है के सचिव और सात

सदस्यों द्वारा समामेलन की दशा में प्रत्येक नाम परिवर्तन की और प्रत्येक समामेलन की हस्ताक्षरित लिखित सूचना रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और जहां समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय किसी भिन्न राज्य में स्थित हो, वहां वह उस राज्य के रजिस्ट्रार को परिवर्तन संबंधी निर्णय की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर भेजी जाएगी।

(4) यदि प्रस्थापित नाम वही है, जिसमें कोई अन्य विद्यमान व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत हुआ है या रजिस्ट्रार की राय में ऐसे नाम के इतना अधिक सदृश है कि उससे जनता का या उन व्यवसाय संघों से किसी के भी सदस्यों को धोखे में पड़ जाना संभाव्य है तो रजिस्ट्रार उस नाम के परिवर्तन को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर देगा।

(5) उपधारा (4) में यथा उपंबधित के सिवाय रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नाम के परिवर्तन के बारे में इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन हो गया है, नाम का परिवर्तन धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत करेगा और नाम का परिवर्तन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगी।

(6) जिस राज्य में समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, उसका रजिस्ट्रार यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समामेलन के बारे में इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन हो गया है और जो व्यवसाय संघ तद्द्वारा बना है वह धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, उस व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकृत करेगा और समामेलन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा।

(7) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नाम में किया गया परिवर्तन, व्यवसाय संघ के किन्हीं अधिकारी या दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगा और न ही उस व्यवसाय संघ द्वारा या उसके विरूद्ध की गयी किसी विधिक कार्यवाही को ही त्रुटियुक्त बनाएगी और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही जो उसके पूर्व नाम में उसके द्वारा या उसके विरूद्ध चालू रखी जा सकती थी या प्रारंभ की जा सकती थी, उसके नए नाम में उसके द्वारा या उसके विरूद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रांरभ की जा सकेगी।

(8) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का समामेलन ऐसे व्यवसाय संघों में से किसी के अधिकार पर या उनमें से किसी के लेनदार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

27. विघटन के पश्चात निधियों का वितरण : (1) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ विघटित किया जाता है तब विघटन की सूचना जिस पर उस व्यवसाय संघ के सात सदस्यों और उसके सचिव के हस्ताक्षर होंगे विघटन के चौदह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विघटन व्यवयसाय संघ के नियमों के अनुसार किया गया है तो वह सूचना उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और विघटन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। ऐसे विघटन की सूचना **प्रपत्र–ड़** में दी जायेगी।

(2) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का विघटन रजिस्ट्रीकृत हो गया है और व्यवसाय संघ के नियम विघटन पर व्यवसाय संघ की निधियों के वितरण के लिए उपबंध नहीं करते है, वहां रजिस्ट्रार उन निधियों को सदस्यों के बीच, सदस्यों द्वारा सदस्यता की अवधि में जमा किये गये अंशदान के अनुपात में वितरित करेगा।

28. वार्षिक विवरणी : (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ–

(क) रजिस्ट्रार को **प्रपत्र–च** में वार्षिक विवरणी, जिसमें व्यवसाय संघ द्वारा 31 दिसम्बर को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्ति एवं व्यय के संप्रेक्षित विवरण एवं 31 दिसम्बर को विद्यमान परिसम्पत्तियों और देनदारियों का विवरण दिया गया हो, अगले वर्ष की 31 जनवरी या इससे पूर्व तक प्रेषित करेगा।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट साधारण विवरण के साथ रजिस्ट्रार को एक ऐसा विवरण, जिसमें उस वर्ष के दौरान जिसके प्रति ऐसा साधारण विवरण निर्दिष्ट है, व्यवसाय संघ द्वारा किए गए पदाधिकारियों के

परिवर्तन दर्शित की जाएंगी, व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रतिलिपि भी उप रजिस्ट्रार को, जो प्रेषित करने की तारीख तक शुद्ध की हुई होगी, अग्रेषित होगी।

(2) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा–99 के अन्तर्गत व्यवसाय संघ के नियमों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन रजिस्ट्रर द्वारा जब तक वह परिवर्तन के कारणों से आश्वस्त न हो जाए कि यह परिवर्तन उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियम, 2021 के विधि के अनुरूप किए गये हैं, परिवर्तन को इस आशय से रखी गयी पंजिका में रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात व्यवसाय संघ के सचिव को सूचित करेगा। नियमों में परिवर्तन दर्ज कराने का शुल्क रू0 50.00 प्रति दस्तावेज एक साथ देय होगा।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए, व्यवसाय संघ से सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र लेखा बहियों रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण उसके रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में सभी युक्तियुक्त समयों पर कर सकेगा या यह अपेक्षा कर सकेगा कि उन्हें ऐसे स्थान पर, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पेश किया जाए, किन्तु ऐसा कोई भी स्थान व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पन्द्रह किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नहीं होगा।

29. राज्य स्तरीय व्यवसाय संघ को मान्यता दिया जाना : जहां राज्य सरकार की यह राय है कि व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ को राज्य स्तर पर राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दिया जाना आवश्यक या व्यवहारिक है, वह ऐसे व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के फेडरेशन को उपरजिस्ट्रार के द्वारा ऐसे संघ और इसके सदस्यों की सत्यापन किये जाने के पश्चात मान्यता प्रदान कर सकती है। परन्तु ऐसा संघ या फेडरेशन के सत्यापन के समय सदस्यों की संख्या दस हजार या अधिक सदस्य होना या राज्य के पचास प्रतिशत जनपदों में, जहां ऐसा व्यवसाय या गतिविधियां हैं, में संघ द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना आवश्यक है।

अध्याय 4

स्थायी आदेष

30– धारा 30 की उप–धारा (3) के अधीन प्रमाणित करने वाले अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की रीति– (1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम से संबंधित मामलों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केंद्र सरकार के आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाता है, तो वह संबंधित प्रमाणक अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक से उस विशिष्ट तिथि से जिसमें से मॉडल स्थाई आदेश के प्रावधान जो उसकी स्थापना हेतु प्रासंगिक हैं, को अपनाया गया है, सूचित करेगा।

(2) उप–नियम (1) में जानकारी प्राप्त होने पर, इस तरह के प्राप्त होने से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणक अधिकारी अपना अवलोकन दे सकता है कि नियोक्ता को कुछ प्रावधानों को शामिल करना आवश्यक है जो उसके प्रतिष्ठान हेतु प्रासांगिक हैं, तथा मॉडल के उन प्रासांगिक प्रावधानों को इंगित करेगा जिन्हें अपनाया नहीं गया है तथा नियोक्ता को इस तरह की मार्गदर्शन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर जोड़, विलोपन या संशोधन के माध्यम से स्थायी आदेश में संशोधन करने का निर्देश भी देगा तथा केवल उन प्रावधानों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगेगा जो प्रमाणक अधिकारी को संशोधित करने हेतु चाहिए तथा इस तरह की रिपोर्ट को नियोक्ता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा।

(3) यदि उप–नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट जानकारी की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणक अधिकारी द्वारा कोई अवलोकन नहीं किया जाता है, तो, स्थायी आदेश को नियोक्ता द्वारा अपनाया गया माना जाएगा।

31– प्रमाणक अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने हेतु औद्योगिक प्रतिष्ठान के श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनाव की रीति, जहां धारा–30 के उप–खंड (5) के खंड (iii) के अधीन कोई ट्रेड यूनियन परिचालन में नहीं है– जहाँ उक्त उपधारा (5) के खंड (i) में उल्लिखित ऐसा कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, तो, प्रमाणन अधिकारी तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए श्रमिकों की एक बैठक बुलाएगा, जिसे वह अपेक्षित आपत्तियों हेतु स्थायी आदेश की एक प्रति भेजेगा, यदि कोई है, जिसे कर्मचारी स्थायी आदेश के मसौदे में बनाने की इच्छा कर सकते हैं, उन्हें नोटिस प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

32– धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेशों के प्रमाणीकरण की रीति– धारा 30 की उपधारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेश, स्थायी आदेशों में संशोधन, या धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां प्रमाणित अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएंगी, जैसा भी मामला हो, तथा सभी संबंधितों को इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से एक सप्ताह के भीतर भेजा जाएगा, परंतु धारा 30 की उप–धारा (3) के अधीन डीम्ड प्रमाणीकरण के मामले में प्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा ऐसे मामले में जहां नियोक्ता ने मॉडल स्थायी आदेश को अपनाया हो।

33– धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन प्रारूप स्थायी आदेशों के साथ दिया जाने वाला विवरण–

(i) प्रारूप स्थायी आदेश में विशेष रूप से विवरण शामिल होंगे, जैसे कि औद्योगिक प्रतिष्ठान या संबंधित उपक्रम का नाम, पता, ई–मेल पता, संपर्क नंबर व उसमें काम करने वाले श्रमिकों का विवरण तथा ट्रेड यूनियन का विशेष विवरण जिसमें ऐसे श्रमिक होते हैं; तथा

(ii) मौजूदा प्रारूप स्थायी आदेशों में संशोधन में ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण शामिल होंगे जिन्हें एक सारणीबद्ध विवरण के साथ संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिसमें स्थायी आदेश के प्रत्येक प्रासंगिक प्रावधान का विवरण, प्रस्तावित संशोधन का विवरण व उसके कारण शामिल है तथा इस तरह के बयान पर औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

34– धारा 30 की उपधारा (10) के अधीन समान प्रतिष्ठान में प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्तें–

समान औद्योगिक प्रतिष्ठान में लगे नियोक्ता के समूह के मामलों में धारा 30 के अधीन तथा संबंधित व्यवसाय संघ या कामगारों के प्रतिनिधियों, यदि वहां कोई संघ नहीं है, से परामर्श के बाद उप–वर्गों (1), (5), (6), (8) और (9) में निर्दिष्ट कार्यवाही के उद्देश्य के लिए एक संयुक्त मसौदा स्थायी आदेश प्रस्तुत कर सकते हैं

35– धारा 32 के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील के निराकरण की रीति–

(1) इच्छुक नियोक्ता या व्यवसाय संघ या कामगार, धारा 30 की उप–धारा (5) के तहत दिए गए प्रमाणित अधिकारी के आदेश के खिलाफ आदेश की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर सारणीबद्ध रूप में अपील का एक ज्ञापन सारणीबद्ध रूप में, व इसके कारण प्रस्तुत करेगा जिसमें कहा गया है कि स्थायी आदेशों के प्रावधानों को परिवर्तित या संशोधित या हटाए जाने या जोड़े जाने की आवश्यकता है अपीलीय प्राधिकारी को इलैक्ट्रानिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई हेतु एक तारीख तय करेगा तथा इसके लिए सीधे सूचना दी जाएगी–

(क) जहां अपील नियोक्ता या कामगार द्वारा दायर की जाती है, औद्योगिक स्थापन के कामगारों के व्यवसाय संघ, नियोक्ता को, और संबंधित कामगारों के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो;

(ख) जहां अपील एक व्यवसाय संघ द्वारा दायर की जाती है, तो नियोजक तथा औद्योगिक स्थापन के कामगारों के अन्य व्यवसाय संघों को, तथा

(ग) जहां अपील कामगारों के प्रतिनिधि द्वारा दायर की जाती है, नियोजक को एवं अन्य कामगारों को जिन्हें अपील प्राधिकारी पक्षकार के रूप में शामिल करना चाहें।

(3) अपीलार्थी प्रत्येक उत्तरदाता को अपील के ज्ञापन की एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, किसी भी साक्ष्य हेतु मांग कर सकता है, यदि यह अपील के निराकरण हेतु आवश्यक समझता है।

(5) अपील की सुनवाई हेतु उप–नियम (2) के अधीन तय की गई तारीख को, अपीलीय प्राधिकारी उस साक्ष्य को लेगा जिसकी उसके द्वारा मांग की गयी है अथवा प्रस्तुत करने पर प्रासंगिक माना गया हो और पक्षकारों को सुनने के पश्चात अपील प्राप्त होने के साठ दिवसों के अन्दर आदेश पारित कर अपील का निपटान करेगा।

(6) अपीलीय प्राधिकारी उप नियम (5) के अन्तर्गत पारित आदेश के सात दिवसों के अन्दर उसकी प्रति प्रमाणन अधिकारी, नियोजक और व्यवसाय संघ या कामगारों के नियत प्रतिनिधियों को प्रेषित करेगा।

(7) इस अध्याय के उददेश्य के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त, प्रमाणन अधिकारी एवं संयुक्त श्रम आयुक्त व उच्चतर पद के अधिकारी, अपीलीय अधिकारी होंगे।

36– धारा 33 की उपधारा (1) और (2) के अधीन स्थायी आदेश को बनाए रखने की भाषा एवं रीति–

(1) धारा 30 के अधीन, अंतिम रूप से प्रमाणक अधिकारी द्वारा प्रमाणित स्थायी आदेश डीम्ड प्रमाणीकरण के मामले को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(2) अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित माने गये या अंगीकृत मॉडल स्थायी आदेश के रूप में स्थायी आदेश की भाषा नियोक्ता द्वारा हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में रखा जाएगा और स्थापन के कामगार द्वारा आवेदन किए जाने पर, आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर रू0 2.00 प्रति पेज के भुगतान पर उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

37– धारा 34 के अधीन स्थायी आदेश की अंतिम प्रमाणित प्रति हेतु रजिस्टर करें–

(1) प्रमाणक अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से या हस्तचालित एक रजिस्टर **प्रपत्र–छ** पर बनाए रखेगा, जो परस्पर सभी औद्योगिक स्थापनों के सत्यापित किये गये स्थाई आदेश या प्रमाणित माने गये या अंगीकृत आदर्श स्थायी आदेशों का है, जिसमें अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित विवरण होगा :–

(क) प्रत्येक स्थायी आदेश को दी गयी विशिष्ट संख्या;

(ख) औद्योगिक स्थापन का नाम;

(ग) औद्योगिक स्थापन की प्रकृति;

(घ) प्रत्येक स्थापन अथवा उपक्रम द्वारा प्रमाणन की तिथि अथवा मानद प्रमाणन की तिथि अथवा आदर्श स्थायी आदेश को अंगीकृत करने की तिथि;

(ङ) औद्योगिक स्थापन के संचालन का क्षेत्र; तथा

(च) स्थायी आदेशों को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक एवं सहायक कोई विवरण तथा ऐसे सभी स्थायी आदेशों के डेटा बेस का निर्माण करना।

(2) प्रमाणित करने वाला अधिकारी, आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाणित आदेशों अथवा मानद प्रमाणित स्थायी आदेशों, जैसा भी मामला हो, को प्रति पृष्ठ दो रूपये की दर से भुगतान करने पर उसकी प्रति उपलब्ध कराएगा। इस प्रयोजार्थ भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी किया जा सकता है।

38– धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन स्थायी आदेश के संशोधन हेतु आवेदन– (1) धारा 35 की उप धारा–2 के अन्तर्गत विद्यमान स्थायी आदेश में संशोधन के लिए आवेदन **प्रपत्र–ज** में तालिका, जिसमें प्रवृत स्थायी आदेशों के प्रासांगिक उपबंधों का विवरण तथा उनमें प्रस्तावित संशोधन, उनके कारण तथा इसके अन्तर्गत कार्यरत पंजीकृत व्यवसाय संघों के विवरण सहित, संशोधन के लिए प्रस्तावित ऐसे स्थायी आदेश के विवरण शामिल होंगे तथा ऐसे विवरण पर औद्योगिक स्थापन अथवा उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जाएगें, इलैक्ट्रानिक या पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा। प्रमाणन अधिकारी स्थायी आदेशों के संशोधन हेतु आवेदन प्राप्ति के साठ दिवसों के अन्दर आदेश निर्गत करेगा।

(2) जहां संशोधन हेतु कोई आवेदन कामगार से प्राप्त होता है, प्रमाणन अधिकारी औद्योगिक स्थापन के जहां एक से अधिक व्यवसाय संघ विद्यमान हैं, प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ के एक प्रतिनिधि को

सम्मिलित करेगा। यदि कोई व्यवसाय संघ नहीं है, तो नियम–31 में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण कर कामगार के प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा।

(3) कामगार से संशोधन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर इसे संघ के प्रतिनिधि या चुने गये प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, को राय लेने के लिए उन्हें भेजा जाएगा।

(4) संशोधन के वांछित प्रमाणन की कार्यवाही केवल इस सीमा तक कि संशोधन व्यवसाय संघ के प्रतिनिधियों या चुने गये प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो, को स्वीकार है और ऐसा व्यवसाय संघ या प्रतिनिधि प्रमाणन की कार्यवाही के दौरान प्रतिनिधित्व कर रहे हों, संशोधन स्वीकार किया जाएगा।

(5) आवेदन की एक प्रति, जैसा नियम–38 में सन्दर्भित है, श्रम आयुक्त, ऐसे मामले में जहां वह प्रमाणन अधिकारी नहीं है, को प्रेषित की जाएगी।

(6) सेवा की रीति : इस संहिता और नियम के अन्तर्गत सभी नोटिस, अधिसूचनांए और आदेश सम्बन्धित पक्षकारों को पंजीकृत पावती पत्र या विशेष सन्देशवाहक द्वारा भेजे जाएंगे। बाद के मामले में, अन्य संबंधित पक्ष या सम्बन्धित पक्ष की ओर से पहुंच की प्राप्ति, प्राप्तकर्ता से लिखित पावती ली जाएगी।

अध्याय 5

परिवर्तन की सूचना

39– धारा 40 के खंड (i) के अधीन प्रस्तावित परिवर्तन हेतु नोटिस देने की रीति–

(1) कोई भी नियोक्ता इस संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के संबंध में किसी भी कामगार हेतु लागू सेवा की शर्तों में कोई बदलाव करना चाहता है, तो इस तरह के परिवर्तन से प्रभावित ऐसे कामगार को **प्रपत्र–झ** में नोटिस देगा।

(2) उप–नियम (1) में सन्दर्भित नोटिस को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर विशिष्ट रूप से नोटिस बोर्ड तथा औद्योगिक स्थापन से संबंधित प्रबंधक के कार्यालय में दर्शाया जाएगा :

बशर्ते कि जहां औद्योगिक स्थापन से संबंधित एक पंजीकृत व्यवसाय संघ या एक से अधिक पंजीकृत व्यवसाय संघ हैं, ऐसे नोटिस की प्रति भी ऐसे व्यवसाय संघ के सचिव या ऐसे संघों के सचिवों, जैसा भी मामला हो, को दी जाएगी।

अध्याय 6

मध्यस्थता हेतु विवादों का स्वैच्छिक संदर्भ

40– धारा 42 की उप–धारा (3) के अधीन मध्यस्थता समझौते का प्रारूप एवं उसकी रीति–

(1) जहां नियोक्ता और श्रमिक विवाद को मध्यस्थता हेतु संदर्भित करने के लिए सहमत हो जाते हैं, वहां न्याय निर्णयन समझौता **प्रपत्र–ञ** में होगा तथा पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। समझौते के साथ आर्बिट्रेटर अथवा आर्बिट्रेटर्स की लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक सहमति होगी।

(2) उप–नियम (1) में सन्दर्भित न्याय निर्णयन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे :

(i) नियोक्ता के मामले में, नियोक्ता द्वारा स्वयं, या जब नियोक्ता एक निगमित कंपनी या अन्य निकाय कॉर्पोरेट है, वहां ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत निगम के एजेंट, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारियों द्वारा;

(ii) कामगारों के मामले में, इस संबंध में प्राधिकृत पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कामगारों की बैठक में इस संबंध में प्राधिकृत कामगारों के तीन प्रतिनिधियों द्वारा;

(iii) किसी एक कामगार के मामले में, कामगार द्वारा स्वयं या पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा, जिसका वह सदस्य है;

स्पष्टीकरण– (1) इस नियम में, 'अधिकारी' से अभिप्राय ऐसे प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ या नियोक्ता संघ के किसी अधिकारी से है।

(2) इस नियम में 'अधिकारी' से अभिप्राय निम्न में से किसी भी अधिकारी से हैः –

क) अध्यक्ष;

ख) उपाध्यक्ष;

ग) सचिव (महासचिव सहित);

घ) एक संयुक्त सचिव; तथा

ङ) व्यवसाय संघ के किसी अन्य अधिकारी, जो संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत हैं।

41– धारा 42 की उप–धारा (5) के अधीन अधिसूचना जारी करने की रीति– जहां एक औद्योगिक विवाद को न्याय निर्णयन हेतु संदर्भित किया गया है एवं राज्य सरकार संतुष्ट है कि संदर्भ बनाने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह आधिकारिक गजट में इस बारे में एक अधिसूचना प्रकाशित करेंगे तथा नियोक्ताओं और ऐसे कामगारों जो न्याय निर्णयन के समझौते के पक्षकार नहीं हैं, लेकिन विवाद में सम्बन्धित हैं, वे इस तरह के प्रयोजन से नियुक्त आर्बिट्रेटर अथवा आर्बिट्रेटर्स के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकते हैं।

42— धारा 42 की उप—धारा (5) के अधीन श्रमिकों के प्रतिनिधियों के चुनाव की रीति जहां कोई व्यवसाय नहीं है— जहां ट्रेड यूनियन नहीं है, श्रमिकों के प्रतिनिधि को धारा 42 के उप—धारा (5) के प्रावधान के खंड (ग) के अनुसरण में आर्बिट्रेटर के समक्ष उनका मामला प्रस्तुत करने हेतु कामगारों के प्रतिनिधियों का चयन सम्बन्धित कामगारों के बहुमत द्वारा **प्रपत्र—ट** में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा जिसमें उन्हें मामले के प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। ऐसे कामगार, प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे जिन्हें आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

अध्याय 7
औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु तन्त्र

43— धारा 44 की उपधारा (1), (2), (3), (5) और (6) के अधीन रिक्ति भरने की रीति व धारा 47 की उप—धारा (3) के अधीन औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के चयन, वेतन एवं भत्ते तथा अन्य शर्तें :—

(1) औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य (इस अध्याय में तदोपरांत न्यायिक सदस्य के रूप में संदर्भित) की नियुक्ति की योग्यता धारा 44 की उप—धारा (2) में यथा उपबंधित होगी।

(2) न्यायिक सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उप—नियम (3) में निर्दिष्ट एक खोज—सह—चयन समिति (एससीसीएस) की सिफारिश पर की जाएगी तथा वह अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा।

(3) खोज—सह—चयन समिति (एससीसीएस) में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः —

(i) मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश— अध्यक्ष

(ii) राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट— सदस्य

(iii) सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन— सदस्य

(iv) सचिव उद्योग, उत्तराखण्ड शासन— सदस्य

(4) खोज—सह—चयन समिति (एससीसीएस) अनुशंसा हेतु अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी तथा योग्यता, उपयुक्तता, गत निष्पादन का रिकॉर्ड, सत्य निष्ठा के साथ—साथ राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद पर नियुक्ति हेतु दो या तीन व्यक्तियों, जो वह उचित समझे, के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

(5) किसी न्यायिक सदस्‍ की नियुक्ति को केवल रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अवैध घोषित नहीं किया जाएगा।

(6) एक न्यायिक सदस्य अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि हेतु पद धारण करेगा या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो।

(7) न्यायिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने के मामले में, राज्य सरकार किसी अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को, वहां न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी।

(8) (क) एक न्यायिक सदस्य को प्रति माह 2,25,000/– (नियत) वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय भत्ते भी प्राप्त करने का पात्र होगा।

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जा रही कुल पेंशन की धनराशि घटा दी जाएगी।

(9) (क) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा के मामले में, राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण में दी गई सेवा की गणना, जिस सेवा से सम्बन्धित है, उसके वर्तमान नियमों के अनुसार प्राप्त करने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा वे सामान्य भविष्य निधि नियम 1960 के उपबंधों व उनके लिए लागू पेंशन के नियम के नियमों द्वारा शासित होंगे।

(ख) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, वे अपने पुनः रोजगार की अवधि के दौरान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के हकदार होंगे तथा राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण में प्रदान की गई सेवा हेतु अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(10) एक न्यायिक सदस्य किराए मुक्त सुसज्जित आवास या राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी को देय मकान किराये भत्ते का पात्र होगा।

(11) (क) सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, सेवारत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय अवकाश उन्हें भी देय हागा।

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी को देय अवकाश इनको भी देय होगा।

(12) (क) न्यायिक सदस्य के लिए अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी राज्य सरकार होगी।

(ख) न्यायिक सदस्य की विदेश यात्रा के लिए स्वीकृति प्राधिकारी राज्य सरकार होगी।

(13) राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं इन पर भी लागू होंगी।

(14) (क) किसी न्यायिक सदस्य को यात्रा भत्ता राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार देय होगा।

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में, राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने होम–टाऊन से मुख्यालय तथा कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से होम–टाऊन के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार देय होगा।

(15) एक न्यायिक सदस्य राज्य सरकार राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी को देय छुटटी, यात्रा रियायत का भी पात्र होगा।

(16) एक न्यायिक सदस्य राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी को देय परिवहन भत्ते का भी पात्र होगा।

(17) किसी व्यक्ति को न्यायिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित न किया जाए।

(18) (क) यदि किसी न्यायिक सदस्य पर अभद्रता का निश्चित आरोप अथवा इस पद पर कार्य करने की अक्षमता, के संबंध में कोई लिखित तथा सत्यापन योग्य शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होती है, तो राज्य सरकार ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी।

(ख) यदि प्रारंभिक जांच करने पर, राज्य सरकार का मत है कि किसी न्यायिक सदस्य द्वारा अभद्रता या अक्षमता की जांच करने हेतु तर्कसंगत आधार हैं, तो यह जांच करने के लिए मामले को खोज–सह–चयन–समिति को सन्दर्भित करेगी।

(ग) खोज–सह–चयन–समिति इस जांच को छह माह के समय या राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट अतिरिक्त समय में जांच को पूरा करेगी।

(घ) जांच के समाप्ति के पश्चात, खोज–सह–चयन–समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी, जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग–अलग तथा पूर्ण मामले में जो यह उचित समझे, परिणामों, कारणों का अपनी टिप्पणी के साथ उल्लेख होगा।

(ङ) खोज–सह–चयन–समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगी, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान तथा समय निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(19) एक न्यायिक सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बेधित स्वयं लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।

बशर्ते कि न्यायिक सदस्य, जब तक उन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद पहले त्यागने के लिए अनुमति न हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक, या उस पद पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने या उसक कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।

(20) राज्य सरकार खोज–सह–चयन–समिति की सिफारिश पर, किसी भी न्यायिक सदस्य को पद से हटा देगा जो –

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) किसी अपराध से दोष सिद्ध किया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो; या

(ग) न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तय या अन्य लाभ प्राप्त किया हो, जिससे उसके न्यायिक सदस्य के रूप में उसके कार्य की निष्पक्षता प्रभावित होने की संभावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरूप्योग किया गया हो कि उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित में न हो।

बशर्ते कि जब किसी न्यायिक सदस्य को खंड (ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाए तथा उन आरोपों के संबंध में उसे अपना पक्ष रखेन का अवसर दिया जाए।

(21) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद पर आसीन होने से पहले, पद की शपथ लेगा और इन नियमों में संलग्न **प्रपत्र–ठ** में गोपनीयता पर हस्ताक्षर करेगा।

(22) न्यायिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन एवं शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किये गये हैं, राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके निर्णय हेतु सन्दर्भित किया जाएगा तथा राज्य सरकार का निर्णय उस पर बाध्यकारी होगा।

(23) राज्य सरकार राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के परामर्श से राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के कामकाज के उचित निर्वहन हेतु आवश्यक हो, ऐसे कई अधिकारियों या अन्य स्टाफ, जैसा वह उचित समझे, उपलब्ध करा सकती है। बशर्ते कि प्रत्येक न्यायाधिकरण हेतु नियुक्त अधिकारियों की संख्या दो से अधिक न हो। ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उनका राज्य श्रम विभाग में सुलह अधिकारी के रूप में 10 वर्ष की सेवा सम्मिलित करते हुए, कम से कम 15 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए। बशर्ते कि ऐसा अधिकारी जब तक वह राज्य सरकार की सेवा से त्याग पत्र न दे या सेवानिवृत्त न हो, नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। उपर्युक्त योग्यता के साथ एक सेवानिवृत्त अधिकारी जिसे नियुक्त किया

गया है, वह 4 वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना रहेगा। ऐसे नियुक्त अधिकारी को उत्तराखण्ड सरकार में समूह 'क' के अधिकारी के समान वेतन देय होगा।

(24) राज्य सरकार के पास किसी भी श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अभिलिखित कारणों से इन नियमों के उपबंधों के अन्तर्गत छूट दिये जाने की शक्तियां निहित होंगी।

44– धारा 44 की उपधारा (3) के अधीन रिक्ति भरने की रीति व धारा 44 की उप–धारा (1) के अधीन उत्तराखण्ड में राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के चयन, वेतन एवं भत्ते व अन्य नियम एवं शर्त हेतु प्रक्रिया–

(1) उत्तराखंड में राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य (इसके बाद इस अध्याय में प्रशासनिक सदस्य के रूप में संदर्भित) की नियुक्ति धारा 46 की उप–धारा (4) में दिये अनुसार होगी।

(2) (क) प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति उप–नियम (3) में निर्दिष्ट एक खोज–सह–चयन समिति (एससीईएस) की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(3) खोज–सह–चयन समिति (एससीईएस) में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगेः –

(i) मुख्य न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश–अध्यक्ष

(ii) राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के कार्यरत न्यायिक मजिस्ट्रेट– सदस्य

(iii) सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य

(iv) सचिव उद्योग, उत्तराखण्ड शासन– सदस्य

(4) खोज–सह–चयन समिति (एससीईएस) अनुशंसा हेतु अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगी तथा योग्यता, उपयुक्तता, गत निष्पादन का रिकॉर्ड, सत्य निष्ठा के साथ–साथ राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद पर नियुक्ति हेतु दो या तीन व्यक्तियों, जो वह उचित समझे, के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

(5) किसी प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति को केवल रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अवैध घोषित नहीं किया जाएगा।

(6) एक प्रशासनिक सदस्य अपने कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि हेतु पद धारण करेगा या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो।

(7) प्रशासनिक सदस्य के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने के मामले में, राज्य सरकार किसी अन्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य को, वहां प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी।

(8) (क) एक प्रशासनिक सदस्य को प्रति माह 2,25,000/– (नियत) वेतन का भुगतान किया जाएगा तथा वह राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय भत्ते भी प्राप्त करने का पात्र होगा।

(ख) सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में, उसके वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त की जा रही कुल पेंशन की धनराशि घटा दी जाएगी।

(9) (क) राजकीय सेवा में सेवारत राजकीय अधिकारियों के मामले में, राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण में दी गई सेवा की गणना, जिस सेवा से सम्बन्धित है, उसके वर्तमान नियमों के अनुसार प्राप्त करने वाली पेंशन के लिए की जाएगी तथा वे सामान्य भविष्य निधि नियम 1960 के उपबंधों व उनके लिए लागू पेंशन के नियम के नियमों द्वारा शासित होंगे।

(ख) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में, वे अपने पुनः रोजगार की अवधि के दौरान नियमों के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि योजना में शामिल होने के हकदार होंगे तथा राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण में प्रदान की गई सेवा हेतु अतिरिक्त ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(10) प्रशासनिक सदस्य राज्य सरकार के समूह 'ए' के समान पद रखने वाले अधिकारी के पद के लिए स्वीकार्य दर पर किराए पर सुसज्जित आवास या मकान किराया भत्ता के हकदार होंगे।

(11) (क) सेवारत सरकारी अधिकारियों की सेवा के मामले में, अवकाश स्वीकार्य होगा जैसा वह जिस सेवा से संबंधित है, के अनुसार स्वीकार्य हैं।

(बी) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, अवकाश स्वीकार्य होगा जैसा कि राज्य सरकार के समान वेतन आहरण करने वाले समूह क के पद पर अधिकारी के रूप में स्वीकार्य हैं।

(12) (क) प्रशासनिक सदस्य के लिए अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी राज्य सरकार होगी।

(ख) प्रशासनिक सदस्य की विदेश यात्रा के लिए स्वीकृति प्राधिकारी राज्य सरकार होगी।

(13) राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी को देय राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं इन पर भी लागू होंगी।

(14) (क) किसी प्रशासनिक सदस्य को यात्रा भत्ता राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार देय होगा।

(ख) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में, राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने होम–टाऊन से मुख्यालय तथा कार्य की समाप्ति पर मुख्यालय से होम–टाऊन के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता भी राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी की पात्रता के अनुसार देय होगा।

(15) एक प्रशासनिक सदस्य राज्य सरकार राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी को देय छुटटी, यात्रा रियायत का भी पात्र होगा।

(16) एक प्रशासनिक सदस्य राज्य सरकार में समूह 'क' के पद पर समान वेतन पाने वाले किसी अधिकारी को देय परिवहन भत्ते का भी पात्र होगा।

(17) किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में किसी प्राधिकारी द्वारा चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ घोषित न किया जाए।

(18) (क) यदि किसी प्रशासनिक सदस्य पर अभद्रता का निश्चित आरोप अथवा इस पद पर कार्य करने की अक्षमता, के संबंध में कोई लिखित तथा सत्यापन योग्य शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त होती है, तो राज्य सरकार ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी।

(ख) यदि प्रारंभिक जांच करने पर, राज्य सरकार का मत है कि किसी प्रशासनिक सदस्य द्वारा अभद्रता या अक्षमता की जांच करने हेतु तर्कसंगत आधार हैं, तो यह जांच करने के लिए मामले को खोज–सह–चयन–समिति को सन्दर्भित करेगी।

(ग) खोज–सह–चयन–समिति इस जांच को छह माह के समय या राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट अतिरिक्त समय में जांच को पूरा करेगी।

(घ) जांच के समाप्ति के पश्चात, खोज–सह–चयन–समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी, जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग–अलग तथा पूर्ण मामले में जो यह उचित समझे, परिणामों, कारणों का अपनी टिप्पणी के साथ उल्लेख होगा।

(ङ) खोज–सह–चयन–समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगी, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगी तथा अपनी जांच की तारीख, स्थान तथा समय निर्धारित करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(19) एक प्रशासनिक सदस्य, किसी भी समय राज्य सरकार को सम्बोधित स्वयं लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है।

बशर्ते कि प्रशासनिक सदस्य, जब तक उन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे अपना पद पहले त्यागने के लिए अनुमति न हो, ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की समाप्ति तक, या उस पद पर उसके

उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने या उसक कार्यकाल की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रहेगा।

(20) राज्य सरकार खोज–सह–चयन–समिति की सिफारिश पर, किसी भी प्रशासनिक सदस्य को पद से हटा देगी जो –

(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या

(ख) किसी अपराध से दोष सिद्ध किया गया हो, जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो; या

(ग) प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तय या अन्य लाभ प्राप्त किया हो, जिससे उसके प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्य की निष्पक्षता प्रभावित होने की संभावना हो; या

(ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरूप्योग किया गया हो कि उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित में न हो।

बशर्ते कि जब किसी प्रशासनिक सदस्य को खंड (ख) से (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर अपने पद से हटाया जाना प्रस्तावित हो, तो उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया जाए तथा उन आरोपों के संबंध में उसे अपना पक्ष रखेन का अवसर दिया जाए।

(21) प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, अपने पद पर आसीन होने से पहले, पद की शपथ लेगा और इन नियमों में संलग्न **प्रपत्र–ठ** में गोपनीयता पर हस्ताक्षर करेगा।

(22) प्रशासनिक सदस्य की सेवाओं के निबंधन एवं शर्तों से संबंधित मामला जिसके संबंध में इन नियमों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किये गये हैं, राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा राज्य सरकार को इसके निर्णय हेतु सन्दर्भित किया जाएगा तथा राज्य सरकार का निर्णय उस पर बाध्यकारी होगा।

(23) राज्य सरकार राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के परामर्श से राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के कामकाज के उचित निर्वहन हेतु आवश्यक हो, ऐसे कई अधिकारियों या अन्य स्टाफ, जैसा वह उचित समझे, उपलब्ध करा सकती है। बशर्ते कि प्रत्येक न्यायाधिकरण हेतु नियुक्त अधिकारियों की संख्या दो से अधिक न हो। ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उनका राज्य श्रम विभाग में सुलह अधिकारी के रूप में 10 वर्ष की सेवा सम्मिलित करते हुए, कम से कम 15 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए। बशर्ते कि ऐसा अधिकारी जब तक वह राज्य सरकार की सेवा से त्याग पत्र न दे या सेवानिवृत्त न हो, नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। उपर्युक्त योग्यता के साथ एक सेवानिवृत्त अधिकारी जिसे नियुक्त किया गया है, वह 4 वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बना

रहेगा। ऐसे नियुक्त अधिकारी को उत्तराखण्ड सरकार में समूह 'क' के अधिकारी के समान वेतन देय होगा।

45– उप–धारा (1) के तहत सुलह कार्यवाही आयोजित करने की रीति तथा उप–धारा (4) के अधीन पूर्ण रिपोर्ट, तथा धारा 53 की उप–धारा–(6) के अन्तर्गत इस आवेदन पर निर्णय लेने की रीति –

(1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या आशंका हो या धारा 62 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया हो, तो सुलह अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर उसकी जांच करेगा तथा यदि उसके द्वारा यह पाया जाता है कि विवाद राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से संबंधित है तो उसके द्वारा विवाद को संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा। अन्य मामलों में, वह संबंधित पक्षों को पहला नोटिस जारी करेगा जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि सुलह संबंधी कार्यवाही आरम्भ करने का इरादा रखता है :–

(1) पहली बैठक में नियोक्ता या कामगार के प्रतिनिधि द्वारा कथित विवाद के मामले से संबंधित अपने–अपने विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(2) सुलह अधिकारी द्वारा विवाद के निपटान के प्रयोजनार्थ सुलह संबंधी कार्य किए जाएंगे और ऐसे सभी कार्य कर सकता है जिन्हें वह पक्षों को एक उचित और सौहार्दपूर्ण निपटान तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त समझता है।

(3) (i) किसी औद्योगिक विवाद पर सुलह अधिकारी के समक्ष संराधन कार्यवाही या न्यायाधिकरण के समक्ष औद्योगिक विवाद की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान कोई नियोजक :–

(क) विवाद से जुड़े संबंधित मामले में ऐसे विवाद से संबंधित कामगारों पर ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व लागू सेवा शर्तों में पूर्वाग्रह से कोई परिवर्तन नहीं करेगा,

(ख) प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित हो, की लिखित अनुमति को छोड़कर विवाद से सम्बन्धित कामगार को किसी कदाचार के कारण बर्खास्तगी या किसी अन्य कारण से हटाने या दण्डित करने की कार्यवाही नहीं करेगा।

(ii) औद्योगिक विवाद के संबंध में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान, ऐसे विवादों पर, नियोजक कामगारों पर लागू स्थायी आदेशों के अनुसार कार्यवाही कर सकता है :–

(क) ऐसे मामलों जोकि विवाद से सम्बन्धित न हों, में ऐसी कार्यवाही के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी कामगार पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार परिवर्तन, या

(ख) किसी ऐसे कदाचरण जोकि विवाद से संबंधित न हो, के कारण कामगार को हटाना या दण्डित करना :

परन्तु ऐसे कामगार को तब तक हटाया या बर्खास्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे, उस माह का वेतन और नियोक्ता द्वारा एक आवेदन उस प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही लम्बित है, को नियोजक द्वारा की गयी कार्यवाही की स्वीकृति हेतु दे दिया गया है।

(iii) उपरोक्त उप–नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी किसी औद्योगिक विवाद के लंबित रहने के दौरान विवाद से संबंधित संरक्षित कामगार के विरूद्ध, नियोजक कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

(क) किसी संरक्षित कामगार के प्रति पूर्वाग्रह से ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व उस पर लागू सेवा शर्तों में परिवर्तन द्वारा

(ख) ऐसे संरक्षित कामगार को बर्खास्त या अन्य कार्यवाही द्वारा हटाना या दण्डित करना।

ऐसे प्राधिकारी जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, की लिखित अनुमति को छोड़कर।

(iii) जहां नियोजक द्वारा उपरोक्त उप–नियम (ii) के उपबंध के अन्तर्गत उसके द्वारा कृत कार्यवाही की स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, संबंधित प्राधिकारी ऐसे आवेदन पर बिना विलम्ब के सुनवाई करेगा और उस आवेदन प्राप्ति के तीस दिवसों के अन्दर, जैसा उचित समझे, आदेश पारित करेगा।

(4) न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही लंबित रहने के दौरान जहां नियोजक उपनियम (iii) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो ऐसे उल्लंघन से पीड़ित कोई भी कामगार न्यायाधिकरण को लिखित शिकायत कर सकता है और शिकायत प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण उसे सन्दर्भित विवाद या लंबित विवाद की संहिता के अनुसार निर्णयन की कार्यवाही करेगा और संहिता के अन्तर्गत एवार्ड राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

(5) (i) जहां नियोक्ता से किसी कामगार को किसी समझौते या एडजुडिकेटर द्वारा या राज्य सरकार द्वारा संहिता के अन्तर्गत गठित राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये एवार्ड के द्वारा धनराशि देय है, तो बिना किसी पूर्वाग्रह के वसूली हेतु एक आवेदन पत्र राज्य सरकार को देगा, और यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि यह धनराशि देय है, तो वह उस धनराशि का वसूली प्रमाण पत्र कलेक्टर को जारी करेगी, जोकि उसे भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही करेगा।

(ii) जहां कामगार नियोक्ता से कोई हितलाभ जोकि धनराशि के रूप में संगणनीय है, ऐसी धनराशि की गणना राज्य सरकार द्वारा विर्निदिष्ट अधिकारण द्वारा अवधारित की जाएगी और यह अवधारित धनराशि उपरोक्त उप–नियम (i) के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

(iii) हितलाभ की धनराशि की गणना के प्रयोजन से न्यायाधिकरण, यदि उचित समझे, तो नियत रीति से किसी आयुक्त को नियुक्त कर सेता है, जोकि आवश्यक साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट न्यायाधिकरण को देगा और न्यायाधिकरण आयुक्त की रिपोर्ट और वाद की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत धनराशि अवधारित करेगा।

(2) यदि उप–नियम (1) में संदर्भित समाधान की कार्यवाही पर कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त एवं राज्य सरकार या राज्य सरकार के पक्ष में अधिसूचित प्राधिकारी को संराधन कार्यवाही प्रारम्भ होने के तीस दिवसों के अन्दर और संराधन कार्यवाही समाप्त होने के सात दिवसों के अन्दर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक से रिपोर्ट भेजेंगे।

(3) उप–नियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित पक्षों के लिए सुलभ होगी।

(4) उप–नियम (2) में उल्लिखित रिपोर्ट में नियोक्ता, कार्यकर्ता या व्यवसाय संघ की प्रस्तुतियाँ शामिल होंगी, जैसा भी मामला हो, तथा इसमें पक्षों को सौहार्दपूर्ण निराकरण हेतु सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों, विवाद को हल करने हेतु पक्षों के इनकार के कारण तथा सुलह अधिकारी के निष्कर्ष को भी शामिल किया जाएगा।

(5) किसी भी विवाद को समाधान कार्यवाही के दौरान सुलझाया नहीं जाता है, तो, संबंधित पक्ष में से कोई भी न्यायाधिकरण से पहले **प्रपत्र–ड़** में या उप–नियम (2) के तहत रिपोर्ट की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

(6) एक औद्योगिक विवाद के मामले में, जिसे समाधान की कार्यवाही के दौरान सुलझाया नहीं गया है, अभिनिर्णय हेतु संबंधित पक्षकारों में से किसी एक पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन किया जा सकता है। न्यायाधिकरण, पक्ष को निर्देश देगा कि वह विवाद का विवरण देने हेतु, प्रासंगिक दस्तावेजों, सहायक दस्तावेजों की सूची, व जिस तारीख पर आवेदन दायर किया गया है, उससे तीस दिनों के भीतर पूरे विवरण के साथ दावे का विवरण दर्ज करे। विवाद में विपरीत पक्षों में से प्रत्येक को ऐसे बयान की एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

(7) न्यायाधिकरण यह सुनिश्चित करने के बाद कि दावे के विवरण की प्रतियां और अन्य संबंधित दस्तावेज विवाद उठाने वाले पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को दे दिये गये हैं, न्यायाधिकरण पहली सुनवाई जल्द से जल्द तय करेगा और आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर सुनवाई की पहली तिथि सुनिश्चित करेगा। विपरीत पक्ष या पक्षकार अपने लिखित बयान को समर्थन के दस्तावेजों और उसकी सूची तथा गवाहों की सूची, यदि कोई हो, सुनवाई की पहली तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल करेंगे और साथ साथ उसकी एक प्रति, प्रतिवादी पक्ष या पक्षों को अग्रेषित करेंगे।

(8) जहाँ न्यायाधिकरण यह पाता है कि विवाद उठाने वाला पक्ष इसके निर्देशों के बावजूद, दावे के विवरण की एक प्रति और अन्य दस्तावेज प्रतिवादी पक्ष या पक्षों को प्रेषित नहीं की गयी है, यदि न्यायाधिकरण दावे के विवरण और अन्य दस्तावेज समयान्तर्गत दाखिल न किए जाने के पर्याप्त कारण पाता है, तो न्यायाधिकरण, संबंधित पक्ष को विवरण की प्रति, पन्द्रह दिवसों के अन्दर प्रतिवादी पक्ष या पक्षों को देने के निर्देश देगा।

(9) साक्ष्य या तो औद्योगिक न्यायाधिकरण में दर्ज किए जाएंगे या हलफनामे पर दायर किए जा सकते हैं, लेकिन हलफनामे के मामले में प्रतिवादी पक्ष को हलफनामा दाखिल करने वाले प्रत्येक प्रतिवादी को जिरह करने का अधिकार होगा। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक परीक्षा हो, वहां न्यायाधिकरण, दिये गये साक्ष्य का सार का ज्ञापन बनाएगा। मौखिक साक्ष्य दर्ज करते समय न्यायाधिकरण, सिविल प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) के लिए पहली अनुसूची के आदेश XVIII के नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(10) सम्मन : न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर, सम्मन **प्रपत्र–ढ़** में जारी करेगा और किसी व्यक्ति को इसके समक्ष किन्हीं पुस्तिकों, कागजों या अन्य दस्तावेजों या अन्य वस्तुओं, जोकि उसके अधिकार या नियन्त्रण में हों, मामले जोकि न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर के अधीन जांच या निर्णयन से संबंधित हों, जिन्हें न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर जांच या निर्णयन के प्रयोजन से आवश्यक समझे, की मांग कर सकता है।

(11) सम्मन या नोटिसों की तामीली : न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर द्वारा निर्गत कोई भी नोटिस, सम्मन, प्रक्रिया या आदेश व्यक्तिगत रूप से हस्तगत या पंजीकृत डाक से या अन्य रीति से जैसा सिविल संहिता प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5) में विहित है, के द्वारा तामील कराया जाएगा।

(12) न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही : (1) जहां राज्य सरकार द्वारा किसी औद्योगिक विवाद को अभिनिर्णय हेतु न्यायाधिकरण को सन्दर्भित किया जाता है, तो सन्दर्भादेश की प्राप्ति की तिथि के दो सप्ताह के अन्दर कामगारों के प्रतिनिधि पक्षकार या व्यक्तिगत कामगार के मामले में कामगार स्वयं एवं विवाद से सम्बद्ध नियोजक, जैसा भी मामला हो, न्यायाधिकरण के समक्ष, मांग से सम्बन्धित बिन्दु जोकि सन्दर्भादेश में सम्मिलित किये गये हैं, विवरण दाखिल करेगा तथा ऐसे विवरण की एक प्रति विवाद से सम्बन्धित प्रतिवादी पक्षों को प्रेषित की जाएगी।

परन्तु जहां न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, यह आवश्यक समझे :–

(क) विवरण दाखिल करने में कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसा विवरण दाखिल किये जाने हेतु दो सप्ताह के समय की सीमा तक विस्तार कर सकता है।

(ख) आकस्मिक मामलों के कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसा विवरण दाखिल किये जाने हेतु समय विस्तार को एक सप्ताह की सामा तक कम किया जा सकता है।

(ग) जहां उभय पक्ष सहमत हों, समझौते के अनुसार, ऐसे विवरण दाखिल करने के लिए समय सीमा कम की जा सकती है।

(घ) जहां उभय पक्ष ऐसे विवरण साथ–साथ दाखिल करने के लिए सहमत हों, छूट प्रदान की जा सकती है, या

(v) कार्यवाही के किसी स्तर पर सन्दर्भादेश में सम्मिलित वास्तविक बिन्दु के निर्धारण के प्रयोजन के लिए ऐसे विवरणों के संशोधन हेतु आवश्यक सीमा तक अनुमति दी जा सकती है।

(2) उपरोक्त उपनियम में सदर्भित इस विवरण प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रतिवादी पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण में जवाबदावा दाखिल किया जा सकता है और साथ–साथ एक प्रति अन्य पक्ष को प्रेषित की जाएगी।

परन्तु ऐसा जवाबदावा केवल सन्दर्भित आदेश में सम्मिलित बिन्दु से सम्बन्धित होगा।

परन्तु यह भी जहां न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, आवश्यक समझे वह :

(क) ऐसा जवाबदावा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय विस्तार या आकस्मिक मामले में ऐसा जवाबदावा दाखिल करने में समय सीमा एक सप्ताह तक कम करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए किया जा सकता है।

(ख) पीठासीन अधिकारी द्वारा तिथि निश्चित कर कामगार को जवाबदावे का उत्तर दाखिल करने के लिए अनुमति दी जा सकती है और इस तिथि पर पक्षकार दस्तावेज दाखिल करेंगे और पक्षों द्वारा की गयी बहस के दौरान उठाये गये वाद बिन्दु, यदि कोई हों, बनाए जांएगे।

(ग) दस्तावेज दाखिल किए जाने हेतु तिथि निश्चित की जाएगी और उसी दिन ऐसे बिन्दु, यदि कोई हों, जो पक्षों द्वारा बहस के दौरान उठाये गये बिन्दुओं, जिन पर लिखित विवरण और जवाबदावा दाखिल किये जाने के पश्चात, बनाए जा सकते हैं।

(3) न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो अभिनिर्णय हेतु सन्दर्भित किये जाने की तिथि के छह सप्ताह के अन्दर सामान्यतः विवाद की प्रथम सुनवाई हेतु तिथि निश्चित करेगा।

परन्तु यह कि न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, कारणों को अभिलिखित करते हुए विवाद की प्रथम सुनवाई हेतु अगली तिथि नियत कर सकता है।

(4) सामान्यतः सुनवाई प्रत्येक दिन की जाएगी और साक्ष्य समाप्त होने के उपरांत शीघ्र ही बहस की जाएगी।

(5) न्यायाधिकरण, जैसा भी मामला हो, सामान्यतः एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए स्थगन प्रदान नहीं करेगा, लेकिन विवाद से सम्बन्धित किसी एक पक्ष के अनुरोध पर तीन से अधिक स्थगन नहीं दिए जांएगे।

(6) न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षों को उनके मामले के कथन के लिए ऐसे आदेश जिसे उचित समझे, द्वारा पक्षों को आहूत किया जा सकता है।

(7) जहां सन्दर्भ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, न्यायाधिकरण ऐसे विवाद को, जो इसके संज्ञान में लाया गया है कि हड़ताल या तालाबंदी लंबित है और सम्बन्धित स्थापन भयभीत है, प्राथमिकता के आधार पर निर्णीत करने की कार्यवाही करेगा।

(8) संघ या कामगार द्वारा दाखिल लिखित विवरण में सम्बन्धित कामगार के उन आधारों जिन पर सम्बन्धित कामगार का दावा आधारित है, का उल्लेख किया जाएगा और लिखित विवरण के साथ एक हलफनामा जिसमें कि सहमति हो, संलग्न किया जाएगा।

(9) यदि संघ या कामगार के द्वारा दाखिल स्टेटमेंट के साथ संलग्न हलफनामे का विरोध नहीं किया जाता है तो न्यायाधिकरण ऐसे मामले में यह मान लेगा कि हलफनामे के विवरण सत्य हैं और लिखित विवरण में दिये गये तथ्यों को स्वीकार करते हुए एवार्ड पारित करेगा।

(10) जब कभी प्रपत्र–1 में आवेदन पत्र जोकि समर्थक संघ द्वारा सुलह अधिकारी के समक्ष दायर किया गया है, न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो न्यायाधिकरण के सम्बन्धित ऐसे दस्तावेज को अभिलेख में रखेगा जोकि कार्यवाही के दौरान संघ या कामगार का दस्तावेज माना जाएगा।

(13) सुनवाई का स्थान एवं समय : न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर की बैठक के लिए ऐसा समय व स्थान, जैसा पीठासीन अधिकारी या आर्बिट्रेटर, जैसा भी मामला हो, नियत कर सकते हैं और पीठासीन अधिकारी और आर्बिट्रेटर, जैसा भी मामला हो, पक्षकारों को उस स्थान एवं रीति से, जैसा उचित समझे, सूचित करेंगे।

(14) न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही : न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही सार्वजनिक रूप से होगी। बशर्ते कि न्यायाधिकरण किसी भी स्तर पर साक्ष्यों का परीक्षण या इसकी कार्यवाही एकांत में किए जाने के निर्देश दे सकता है।

(15) गवाही पूर्ण होने पर बहस तुरन्त की जा सकती है या बहस के लिए एक तिथि निश्चित की जा सकती है, जोकि गवाही समाप्त होने के पन्द्रह दिवसों से आगे नहीं होगी।

(16) औद्योगिक न्यायाधिकरण सामान्यतः एक बार में एक सप्ताह से अधिक का स्थगन नहीं देगा, लेकिन किसी मामले में विवाद से सम्बन्धित पक्षों के अनुरोध पर तीन से अधिक बार स्थगन नहीं दिया जाएगा।

बशर्ते कि औद्योगिक न्यायाधिकरण अभिलिखित कारणों से एक बार में एक सप्ताह से अधिक स्थगन दे सकता है, लेकिन किसी भी मामले में विवाद से सम्बन्धित एक पक्ष के अनुरोध पर तीन बार से अधिक स्थगन नहीं दिया जाएगा।

(17) यदि कोई पक्ष किसी स्तर पर सुनवाई पर अनुपस्थित रहता है, तो औद्योगिक न्यायाधिकरण एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है और चूक करने वाले पक्ष की अनुपस्थिति में आवेदन को निर्णीत कर सकता है।

परन्तु औद्योगिक न्यायाधिकरण किसी भी पक्ष द्वारा एवार्ड पारित होने से पूर्व आवेदन देने पर, यदि यह सन्तुष्टि हो जाती है कि तर्कसंगत आधार पर पक्ष अनुपस्थित रहा, एकपक्षीय आदेश को वापस किया जाएगा और प्रतिरोध किये गये मामले को निर्णीत किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही करेगा।

(18) औद्योगिक न्यायाधिकरण इसके एवार्ड को इलैक्ट्रानिक रूप से या पंजीकृत डाक से सम्बन्धित पक्षों एवं राज्य सरकार को एवार्ड के निर्णय की तिथि से पन्द्रह दिवसों के अन्दर संसूचित करेगा।

(19) औद्योगिक न्यायाधिकरण मामले के निर्णय के लिए भौतिक पाए गए किसी भी व्यक्ति के साक्ष्य पर सम्मन भेज सकता है और जांच कर सकता है तथा इसे अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–345, 346 और 348 के अर्थ के भीतर सिविल न्यायालय माना जाएगा।

(20) जहां मूल्यांकन कर्ताओं को धारा 49 की उप–धारा (5) के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायाधिकरण को इसके समक्ष सम्बन्धित कार्यवाही में परामर्श देने हेतु नियुक्त किया गया हो, औद्योगिक न्यायाधिकरण ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं से उनका परामर्श प्राप्त करेगा, लेकिन ऐसा परामर्श ऐसे न्यायाधिकरण पर बाध्यकारी नहीं होगा।

(21) एवार्ड में पक्षकार जो, एवार्ड या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त करना चाहते हों, राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क जमा करने के बाद निम्न रीति से एवार्ड या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर सकते हैं, अर्थातः –

(क) एवार्ड की प्रति या औद्योगिक न्यायाधिकरण में कार्यवाही के दौरान दाखिल दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने के लिए रु0 2.00 प्रति पेज की दर से शुल्क लिया जाएगा।

(ख) ऐसे किसी एवार्ड या आदेश या दस्तावेज की प्रति के प्रमाणन हेतु रू0 2.00 प्रति पेज का शुल्क देय होगा।

(ग) प्रति और प्रमाणन शुल्क इलेक्ट्रॉनिक रूप से या नकद जमा करके देय होगा।

(घ) जहां पक्ष ऐसे किसी एवार्ड या दस्तावेज की प्रति शीघ्र वतरण के लिए आवेदन करता है, तो इस नियम के तहत देय शुल्क के आधे के बराबर एक अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(22) औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों के प्रतिनिधियों को जब गवाही के लिए पुकारा गया है, तो उन्हें परीक्षण, जिरह और औद्योगिक न्यायाधिकरण को सम्बोध्न का अधिकार होगा।

(23) औद्योगिक न्यायाधिकरण की कार्यवाही खुली अदालत में होगी।

परन्तु औद्योगिक न्यायाधिकरण उसके समक्ष किसी कार्यवाही को वीडियो कान्फ्रेन्सिग के द्वारा होने के लिए निर्देशि दे सकता है।

परन्तु यह भी कि औद्योगिक न्यायाधिकरण किसी भी चरण में निर्देश दे सकता है कि किसी भी गवाह की जांच की जाएगी और इसकी कार्यवाही कैमरे में की जाएगी।

(24) सूचनाएं जो गोपनीय रखी जाएगी : सभी पुस्तकें कागज और अन्य दस्तावेज या वस्तुएं, जो न्यायाधिकरण के समक्ष स्वेच्छा से या सम्मन के अनुसरण में ऐसे पक्षों द्वारा निरीक्षित की जा सकती हैं,

जिन्हें न्यायाधिकरण अनुमति देगा, लेकिन ऐसी सूचनांए जैसा कि संहिता में दिया गया है, कि सिवाए सार्वजनिक नहीं की जांएगी और पुस्तकों, कागजों, दस्तावेजों या अन्य वस्तुओं के ऐसे भाग जोकि न्यायाधिकरण की राय में मामले के बिन्दु से सम्बन्धित नहीं है, पीठासीन अधिकारी के विवेकानुसार सीलबंद लिफाफे में रखी जा सकती हैं।

(25) न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर के द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही (1) यदि नियत तिथि या स्थगन के उपरांत अन्य तिथि पर न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर के समक्ष चल रही कार्यवाही से सम्बन्धित कोई पक्षकार जिसे सम्मन या सुनवाई की तिथि का नोटिस तामील कराया गया हो, अनुपस्थित रहता है, तो न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर, जैसा भी मामला हो, उसकी अनुपस्थिति में अग्रेत्तर कार्यवाही और ऐसा आदेश, जैसा ठीक और उचित हो, पारित कर सकता है।

(2) यदि ऐसे आदेश के दस दिन के अन्दर पक्षकार उसकी अनुपस्थिति के पर्याप्त कारणों को दर्शाते हुए ऐसे आदेश को अपास्त करने का लिखित आवेदन करता है, तो न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर, किसी पक्षकार के विरूद्ध उसकी अनुपस्थिति में पारित आदेश को अपास्त कर सकता है। न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर, पक्षकार से अनुपस्थिति के कारण का हलफनामा दाखिल करने की मांग कर सकता है। जितने प्रतिवादी पक्षकार हों, उतने ही आवेदन और हलफनामे की अन्य प्रतियां सम्बन्धित पक्ष द्वारा दाखिल की जांएगी। आदेश अपास्त करने से पूर्व प्रतिवादी पक्षों को आवेदन की सूचना दी जाएगी।

(26) प्रवेष की शक्तियां और निरीक्षण : न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी या न्यायाधिकरण के द्वारा इस संबंध में लिखित आदेश से अधिकृत व्यक्ति द्वारा संहिता के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के जांच, पूछताछ या अभिनिर्णय के प्रयोजन के लिए उचित नोटिस देने के उपरांत किसी भवन, कारखाना, कार्यशाला या अन्य स्थान या परिसर, जो भी हो, में प्रवेश कर सकता है और उसी या अन्य कार्य, मशीन, उपकरण या उसमें रखी गयी वस्तुंओ या जांच, पूछताछ या अभिनिर्णय से सम्बन्धित मामलों में निरीक्षण कर सकता है।

(27) कतिपय मामलों में पक्षों का विवरण : न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही में, जहां किसी भी पक्ष द्वारा अनेक व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया हो, ऐसे व्यक्तियों का निम्नानुसार वर्णन किया जाएगा :–

(1) ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी संघ या एशोसिएशन के सदस्य हैं, उनके ऐसे संघ या एशोसिएशन का वर्णन किया जाएगा।

(ii) ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी भी संघ या एशोसिएशन के सदस्य नहीं हैं, इस रीति से ऐसा वर्णन किया जाएगा, जैसा न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर, जैसा भी मामला हो, निश्चित करे।

(28) विवाद से सम्बन्धित पक्षों के मामलों में सूचना लगाये जाने की रीति : (1) जहां, न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर के समक्ष विचाराधीन किसी भी कार्यवाही में अनेक व्यक्ति पक्षकार हैं और ऐसे व्यक्ति किसी संघ

या एशोसिएशन के सदस्य हैं, सचिव को या जहां सचिव नहीं है, संघ या एशोसिएशन के मुख्य पदाधिकारी को दिया गया नोटिस, ऐसे सभी व्यक्तियों को नोटिस दिया हुआ मान लिया जाएगा।

(2) जहां, न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर के समक्ष विचाराधीन किसी भी कार्यवाही में अनेक व्यक्ति पक्षकार हैं और ऐसे व्यक्ति किसी भी संघ या एशोसिएशन के सदस्य नहीं हैं, जैसा भी मामला हो, जहां उनकी राय में व्यक्तिगत नोटिस लगाया जाना व्यवहारिक नहीं है, तो सम्बन्धित स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर या नजदीक पर नोटिस चस्पा करने या ऐसे अन्य रीति से जैसा न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर, जैसा उचित या ठीक समझे, सूचना दी जा सकती है। ऐसे मामले में, जहां ऐसे कामगार को ढूढां या पाया नहीं जाता है, तो ऐसी रीति से प्रदर्शित नोटिस को पर्याप्त माना जायेगा।

(29) न्यायाधिकरण और आर्बिट्रेटर की शक्तियां : संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त न्यायाधिकरण और आर्बिट्रेटर को निम्नलिखित मामलों में जैसा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्या 5) के अन्तर्गत सिविल मुकदमे की सुनवाई हेतु प्रदत्त हैं, वह सभी शक्तियां होंगी :

(क) अन्वेषण और निरीक्षण।

(ख) स्थगन देना, तथा

(ग) हलफनामे पर गवाही प्राप्त करना और न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर, ऐसे किसी व्यक्ति जिसकी गवाही उसकी सामग्री प्रतीत हो, को बुला सकता है।

(30) गवाहों के व्यय : (1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर द्वारा बुलाया जाता है और विधिवत रूप से या अन्य प्रकार से गवाही के लिए उपस्थित है, सम्बन्धित पक्ष से व्यय हेतु ऐसे भत्ते, जो समय–समय पर सरकार द्वारा दिए गए सामान्य और विशेष निर्देशों से न्यायाधिकरण या आबिट्रेटर द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

(2) किसी पक्ष के अनुरोध पर गवाह बुलाये जाने हेतु न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर पक्षकार को गवाह के व्यय को अग्रिम में जमा किए जाने हेतु कह सकता है।

(31) प्रतिनिधियों का अधिकार : न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के प्रतिनिधियों को परीक्षण या गवाह से जिरह, जैसा भी मामला हो, का अधिकार होगा।

(32) आर्बिट्रेशन एवार्ड के कागज, अभिलेख, दस्तावेज एवं पत्रावलियां आदि :– राज्य सरकार द्वारा आर्बिट्रेशन एवार्ड प्रस्तुत करने के पन्द्रह दिवसों के अन्दर न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर सभी कागज अभिलेख, दस्तावेज और पत्रावलियां जोकि आर्बिट्रेशन कार्यवाही से सम्बन्धित हैं और आर्बिट्रेशन एवार्ड की मूल प्रति भी उस न्यायाधिकरण जिसके क्षेत्राधिकार का औद्योगिक विवाद हो, को भेज देगा।

(33) न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर के एवार्ड या अन्य दस्तावेजों की प्रतियां : (1) विवाद से सम्बधित पक्ष किसी भी स्तर पर मामले के अभिलेखों या उसके किसी भाग, जिसमें रखी गयी प्रदर्शित वस्तुंए और अन्तिम रूप से साक्ष्य के रूप में स्वीकार की गयी है, सम्मिलित है, किन्तु गोपनीय कागज और कार्यालय की टिप्पणी को छोड़कर, की प्रति प्राप्त करने का पात्र होगा।

(2) विवाद से अपरिचित व्यक्ति गोपनीय दस्तावेजों और कार्यालय टिप्पणी को छोड़कर, निर्णय के पश्चात एवार्ड या मामले के अभिलेखों के दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकता है।

परन्तु अपरिचित व्यक्ति को, उस व्यक्ति या उसके उत्तराधिकारी जिनके द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकृत प्रदर्शित वस्तुंए प्रस्तुत की गयी हों, की सहमति के सिवाए, नहीं दी जाएंगी।

(3) प्रत्येक ऐसी प्रति निर्गत किए जाने से पूर्व न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर के कार्यालय से यह परीक्षण और सत्यापन किया जाएगा कि यह सही है। ऐसी कोई प्रति जो उपरोक्त किसी भी कार्यालय में तैयार न की गयी हो, प्रमाणित नहीं की जाएगी।

(4) एवार्ड या अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने हेतु आवेदन किसी भी कार्य दिवस को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के मध्य सम्बन्धित न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार या आर्बिट्रेशन एवार्ड या उनसे सम्बन्धित दस्तावेजों के मामले में न्यायाधिकरण के रजिस्ट्रार, जिसके अधिकार क्षेत्र का एवार्ड हो, को प्रस्तुत किए जांएगे।

(5) प्रति प्राप्त करने के आवेदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित मुख्य लिपिक या लिपिक देय शुल्क और यह कि जब तक कि यह शुल्क जमा नहीं किया जाता, आवेदन अपूर्ण होगा, के बारे में आवेदक को सूचित करेगा।

प्रतियों और प्रमाणन शुल्क की धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में विर्निदिष्ट लेखा–शीर्षक में जमा की जाएगी।

(6) यदि दस्तावेज जिसकी प्रति चाही गयी है, के संबंध में अपर्याप्त और त्रुटिपूर्ण विवरण पाया जाता है, तो यह तथ्य आवेदन पत्र पर पृष्ठांकित किया जाएगा और उसे सम्बन्धित न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) यदि अनुमानित शुल्क की धनराशि अधिसूचित सूचना के सात दिवसों के अन्दर जमा नहीं की जाती है, तो प्रति के लिए आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

(8) यदि उपरोक्त उपनियम (7) के अन्तर्गत आवेदन निरस्त कर दिया गया है और प्रति की अभी भी आवश्यकता है, तो नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, उसका भी निराकरण मूल आवेदन के लिए नियत रीति के अनुसार यह मानते हुए कि इससे पूर्व कोई मूल आवेदन नहीं किया गया है, किया जाएगा।

(9) यदि और जब भी यह सुनिश्चित हो जाए कि अतिरिक्त शुल्क आवश्यक हो, ऐसा शुल्क तुरन्त ही आवेदक को अधिसूचित किया जाएगा और सूचना प्राप्ति के सात दिवसों के अन्दर जमा किया जाएगा।

(10) विशुद्ध प्राथमिकता में प्रतियां तैयार की जांएगी और जहां किसी विशेष कारण से विचलन का प्रस्ताव किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी, न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(11) सामान्य परिस्थितियों में आवश्यक शुल्क या अतिरिक्त शुल्क जमा होने के तीसरे दिवस को अपरान्ह 4:00 बजे तक प्रति दी जा सकती है।

(12) यदि आवेदक अपना पता प्रस्तुत करने के साथ पंजीकृत डाक (पावती) के पर्याप्त शुल्क का लिफाफा जमा करता है, तो प्रति डाक द्वारा प्रेषित की जा सकती है।

(13) जब प्रति दी जाती है, तो प्रति के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित विवरण अंकित किया जाएगा :

(क) प्रति हेतु आवेदन की तिथि,

(ख) शुल्क अधिसूचित करने की तिथि,

(ग) शुल्क जमा करने की तिथि,

(घ) आवेदक को प्रति देने की तिथि

(14) प्रतियों के आवेदन के संबंध में एक पंजिका रखी जाएगी और न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी या उनकी ओर से अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा दैनिक रूप से इसकी जांच की जाएगी।

(15) न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर के एवार्ड या न्यायाधिकरण या आर्बिट्रेटर के समक्ष कार्यवाही के दौरान दाखिल किए गए दस्तावेज का शुल्क रू0 2.00 प्रति पृष्ठ होगा।

परन्तु आगे कि, यदि पक्ष किसी ऐसे एवार्ड या दस्तावेज के अति आवश्यक वितरण हेतु आवेदन करता है, तो पक्ष द्वारा इस नियम के अन्तर्गत लिए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

(16) किसी ऐसे एवार्ड या दस्तावेज की प्रत्येक प्रति का प्रमाणन शुल्क रू0 5.00 होगा।

(17) प्रति और प्रमाणन शुल्क अग्रिम में जमा किया जाएगा।

(34) समझौता रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन : संराधन अधिकारी के समक्ष संराधन कार्यवाही से बाहर अन्यथा हुए समझौते के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन समझौते के पक्षों द्वारा या उनमें से किसी एक द्वारा, समझौता होने की तिथि के एक माह के अन्दर, क्षेत्र के सबन्धित संराधन अधिकारी को पावती सहित पंजीकृत डाक से या दस्ती प्रेषित किया जाएगा। समझौते के ज्ञापन की एक प्रति समझौते के पक्षों द्वारा सम्बन्धित स्थापन के प्रवेश द्वार या द्वारों के निकट लगे नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी और यह समझौते के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की तिथि के पूर्व सात दिवसों की अवधि तक चस्पा रहेगा।

(35) समझौते के रजिस्ट्रीकरण की प्रकिया : समझौते के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर संराधन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित प्राधिकारी, यदि वह, यह आवश्यक समझता है, तो इसकी जांच करा सकता है। यदि जांच के बाद संराधन अधिकारी या संबंधित प्राधिकारी समझौते के रजिस्ट्रेशन का निर्णय करता है, तो समझौता **प्रपत्र–ण** में बनाए गये रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और समझौते के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र **प्रपत्र–त** में समझौते के पक्षकारों को, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीस दिवसों के अन्दर निर्गत किया जाएगा। यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी समझौते का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करता है, तो इस संबंध में रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने के कारणों सहित, समझौते के सभी पक्षकारों को रजिस्ट्रीकरण के आवेदन प्राप्ति की तिथि के, जो तीस दिवस से अधिक न हो, के अन्दर, एक सूचना दी जाएगी। समझौता रजिस्ट्रीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी द्वारा समझौते के रजिस्ट्रीकरण या इन्कार किए जाने की सूचना, जैसा भी मामला हो, सम्बन्धित क्षेत्र के संराधन अधिकारी और श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को रजिस्ट्रेशन के सात दिवसों के अन्दर प्रेषित की जाएगी।

(36) व्यक्तियों जिन पर एवार्ड बाध्यकारी होगा : एक एवार्ड जोकि प्रवर्तनीय हो गया है, बाध्यकारी होगा :

(क) औद्योगिक विवाद से सम्बन्धित सभी पक्ष,

(ख) जहां खण्ड (क) में उल्लिखित एक पक्ष नियोक्ता है, उसके वारिस, उत्तराधिकारी या स्थापन के संबंध में जिम्मेदार जोकि औद्योगिक विवाद से संबंधित हो,

(ग) जहां खण्ड (क) में उल्लिखित पक्ष कामगारों से बना है, सभी व्यक्ति, जो स्थापन में या स्थापन के किसी हिस्से में नियोजित रहे हों, जैसा भी मामला हो, जिनसे विवाद संबंधित है और सभी व्यक्ति जो बाद में स्थापन या किसी हिस्से में नियोजित हुए हों।

अध्याय–8

हड़ताल और तालाबंदियां

46. उन लोगों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल की सूचना दी जाएगी, वह व्यक्ति या व्यक्ति जिन्हें इस तरह का नोटिस दिया जाएगा और धारा 62 की उप–धारा (4) के तहत इस तरह के नोटिस देने की रीति – हड़ताल की सूचना संदर्भित धारा 62 की उप–धारा (1) में **प्रपत्र–थ** में एक औद्योगिक स्थापन के प्लांट के मुखिया या प्रबंधक को दिया जाएगा, जिसे सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित किया जाएगा और जिसकी प्रतियां संबंधित क्षेत्र के संराधन अधिकारी, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य प्रकार से दी जाएगी।

47. धारा 62 की उप–धारा (5) के तहत और उप–धारा (6) के तहत प्राधिकरण के तहत तालाबंदी का नोटिस देने की रीति–

(1) लॉक–आउट का नोटिस उप–धारा (2) में संदर्भित धारा 62 औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता द्वारा **प्रपत्र–द** में प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ, के सचिव को, जो ऐसे औद्योगिक स्थापन से संबंधित हो, को दिया जाएगा जिसकी प्रति पृष्ठांकित करते हुए संबंधित संराधन अधिकारी, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य प्रकार से दी जाएगी। नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर समुचित स्थान पर नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर पर नोटिस प्रदर्शित किया जाएगा तथा जहां कोई व्यवसाय संघ पंजीकृत नहीं है, वहां वर्क्स कमेटी में कामगारों के प्रतिनिधियों को नोटिस दिया जाएगा।

(२) यदि किसी औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से हड़ताल का नोटिस, जौ कि धारा ६२ की उप–धारा (१) में दिया गया है, तब इस तरह के नोटिस प्राप्त करने की तिथि से पन्द्रह दिवसों के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य प्रकार से संबंधित संराधन अधिकारी, क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, राज्य के श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इसकी सूचना देगा।

(३) यदि नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को लॉक–आउट का नोटिस देता है, तो वह ऐसे नोटिस की तिथि से पांच दिनों के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्य प्रकार से संबंधित संराधन अधिकारी और क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त को सूचित करेगा। ।

अध्याय–9

बर्खास्तगी, छंटनी और बंदी

48. धारा 70 के खंड (ग) के तहत कामगार की छंटनी से पहले नोटिस देने की रीति–

यदि कोई भी नियोक्ता अपने औद्योगिक स्थापन में नियोजित किसी कामगार को, जो निरन्तर एक वर्ष से अधिक निरंतर उसके अधीन सेवा में रहा हो, की छंटनी करना चाहता है, तो ऐसा नियोक्ता राज्य सरकार और संबंधितों को **प्रपत्र–ध** में, इस तरह की छंटनी का नोटिस, संराधन अधिकारी और क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त और राज्य के श्रम आयुक्त को ईमेल या पंजीकृत डाक द्वारा देगा।

49. धारा 72 के तहत छंटनी किए गए कामगारों को पुनः रोजगार के अवसर देने की रीतिः–

जहां किसी औद्योगिक स्थापन में कोई रिक्ति होती है और ऐसे औद्योगिक स्थापन में ऐसी रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव से पहले एक वर्ष के भीतर ऐसे छंटनीशुदा कामगार हों, तो ऐसे औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता दस दिन पूर्व पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से और ईमेल के माध्यम से सूचना प्रेषित कर ऐसे छंटनीशुदा कामगार, जो भारतीय नागरिक हो, को अवसर प्रदान करेंगे। यदि ऐसे कामगार नियोजन के इच्छुक हों, तो नियोक्ता ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए उन्हें अन्य व्यक्तियों से अधिक वरीयता देगा।

50. धारा 74 की उप–धारा (1) के तहत नियोजक प्रतिष्ठान के बंदी का नोटिस देने की रीति :–

(i) यदि कोई नियोक्ता किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करना चाहता है, तो वह राज्य सरकार को **प्रपत्र–ध** में इस तरह की बंदी का नोटिस देगा और उसकी प्रति संबंधित क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त और राज्य के श्रम आयुक्त को ईमेल या पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाएगी और जहां बंदी के ऐसे आवेदन के नोटिस को पंजीकृत डाक से भेजा जाता है, तो राज्य सरकार को आवेदन प्राप्त हाने की तिथि, सूचना दिए जाने की तिथि मानी जाएगी।

(ii) किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करने के पूर्व अनुमति के आवेदन की प्रति स्थापन में कार्यरत पंजीकृत सभी व्यवसाय संघों के अध्यक्षों या सचिवों को व्यक्तिगत हस्तगत और जहां यह व्यवहारिक न हो, पंजीकृत पावती डाक के द्वारा प्रेषित की जाएगी।

(iii) ऐसे आवेदन की एक प्रति सम्बन्धित स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर या निकट चस्पा की जाएगी, जोकि ऐसे कामगारों, जिनका पता न लग सका और सूचित न किया जा सका, पर समुचित तामीली मानी जाएगी।

अध्याय–10

कतिपय प्रतिष्ठानों में ले–ऑफ, छंटनी और बंदी से संबंधित विशेष प्रावधान

51. धारा 78 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत ले–आफ के लिए नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने तथा कामगारों को ऐसे आवेदन की प्रति देने की रीति–

(i) यदि किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित किसी कामगार को ले–आफ किया जाता है, तो सम्बन्धित नियोक्ता ऐसे ले–आफ के शुरू होने और समाप्त होने का नोटिस देगा।

(ii) नियोक्ता द्वारा ऐसे नोटिस हर मामले में दिये जांएगे, चाहे उसकी राय में, ले–आफ किया गया कामगार मुआवजा पाने का पात्र हो अथवा नहीं।

(iii) धारा–78 की उप–धारा–1 के तहत अनुमति के लिए एक आवेदन नियोक्ता द्वारा **प्रपत्र–न** में स्पष्ट रूप से ले–आफ के बताए गए अभीष्ट कारणों सहित किया जाएगा और साथ–साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कामगार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाएगी। नियोक्ता द्वारा इस तरह के आवेदन को, औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में समुचित रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

52. धारा 78 की उप–धारा (7) के तहत समीक्षा के लिए समय–सीमा– राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कामगार द्वारा आवेदन किये जाने पर, संहिता की धारा 78 की उपधारा (4) के

अन्तर्गत अनुमति देने या अनुमति से इनकार किए जाने संबंधी आदेश की तिथि से तीस दिवसों के भीतर ऐसे आदेश की समीक्षा कर सकती है।

53. धारा 79 की उप–धारा (2) के तहत नियोक्ता द्वारा छंटनी के इरादे से आवेदन करने की रीति तथा ऐसे आवेदन की प्रति कामगारों को देने की रीति :– (i) यदि कोई नियोजक स्थापन में नियोजित किसी कामगार, जो एक वर्ष की निरन्तर सेवा से कम न हो, की छंटनी करना चाहता है, तो वह ऐसे छंटनी का नोटिस सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड सरकार और संबंधित क्षेत्र के संराधन अधिकारी को पंजीकृत डाक से निम्नलिखित रीति से देगा :

(क) जहां नोटिस कामगार को दिया जाता है, छंटनी को नोटिस उसी दिन जिस दिन कामगार को नोटिस दिया गया है, भेजा जाएगा।

(ख) जहां कोई नोटिस कामगार को नहीं दिया गया है और उसे नोटिस के बदले में उसे एक माह के वेतन का भुगतान कर दिया गया है, छंटनी का नोटिस उसी दिन, जिस दिन वेतन का भुगतान कामगार को किया गया है, भेजा जाएगा।

(ग) जहां छंटनी किसी समझौते के अंतर्गत की जानी है, जिसमें सेवा समाप्ति की अवधि यदि एक माह से कम का उल्लेख है, छंटनी का नोटिस उसी दिन, जिस दिन समझौता हुआ है, अन्यथा छंटनी के एक माह पूर्व भेजा जाएगा।

(ii) नियोजक उस विशेष श्रेणी, जहां छंटनी की जानी है, के कामगारों की, उनकी उस श्रेणी में वरिष्ठता के अनुसार रखते हुए सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति छंटनी की तिथि से कम से कम सात दिवस पूर्व औद्योगिक स्थापन के परिसर में लगे नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगा।

(iii) कामगार की छंटनी किए जाने से पूर्व पुनः नियोजन हेतु सूचना देने के प्रयोजन से कामगार के द्वारा लिखित में दिए गए पते, जिसमें उस कामगार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लगी हो, प्राप्त करेगा।

(iv) धारा–79 की उप–धारा (1) के तहत अनुमति के लिए एक आवेदन नियोक्ता द्वारा **प्रपत्र–न** में स्पष्ट रूप से छंटनी के बताए गए अभीष्ट कारणों सहित किया जाएगा और साथ–साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कामगार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाएगी। नियोक्ता द्वारा इस तरह के आवेदन को, औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में एक नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में समुचित रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

54. धारा 79 की उप–धारा (6) के तहत समीक्षा के लिए समय–सीमा– राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कामगार द्वारा आवेदन किये जाने पर, संहिता की धारा 79 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमति देने या अनुमति से इनकार किए जाने संबंधी आदेश की तिथि से तीस दिवसों के भीतर ऐसे आदेश की समीक्षा कर सकती है।

55. धारा 80 के उप–धारा (1) के तहत किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करने के लिए नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को आवेदन करने की रीति और कामगारों के प्रतिनिधियों को ऐसे आवेदन की प्रति देने की रीति– प्रत्येक नियोजक जो अपने औद्योगिक स्थापन को बंद करने का इरादा रखता है, जिसमें संहिता का अध्याय–10 लागू होता है, बंद प्रभावित होने की तिथि से नब्बे दिवस पूर्व इलैक्ट्रानिक रूप से **प्रपत्र–न** में पूर्व अनुमति हेतु औद्योगिक स्थापन के बंद किए जाने के इरादे के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए आवेदन करेगा और साथ–साथ ऐसे आवेदन की प्रति भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से और पंजीकृत डाक द्वारा कामगारों के प्रतिनिधियों को भेजी जाएगी।

56. धारा 80 की उप–धारा (5) के तहत समीक्षा के लिए समय–सीमा– राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कामगार द्वारा आवेदन किये जाने पर, संहिता की धारा 80 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अनुमति देने या अनुमति से इनकार किए जाने संबंधी आदेश की तिथि से तीस दिवसों के भीतर ऐसे आदेश की समीक्षा कर सकती है।

अध्याय–11

कर्मकार रि–स्किलिंग निधि

57. धारा 83 की उप–धारा (3) के तहत निधि के उपयोग की रीति – प्रत्येक नियोक्ता जिसके द्वारा इस संहिता के तहत कामगार या कामगारों की छंटनी की गयी है, दस दिनों के भीतर, कामगार या कामगारों को छंटनी के समय, ऐसे छंटनीशुदा कामगार या कामगारों के अन्तिम आहरित वेतन के पन्द्रह दिवसों बराबर धनराशि को इलैक्ट्रानिक तरीके से खाताधारक का नाम और खाता संख्या राज्य के श्रम विभाग की वेबसाईट में प्रदर्शित होगा जिसका रखरखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नियोजक से प्राप्त निधि की तिथि से पैंतीलीस दिवसों के अन्दर क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त प्रत्येक कामगार या कामगारों के खाते में इलैक्ट्रानिक रूप से स्थानान्तरित कर देगा और ऐसी धनराशि का कामगार उसके पुनः कौशल विकास के लिए उपयोग करेगा। प्रत्येक नियोजक ऐसी सूची जिसमें छंटनी किए गए कामगार का नाम, प्रत्येक कामगार के अन्तिम आहरित वेतन के पन्द्रह दिवसों के वेतन के बराबर धनराशि, बैंक खाते के विवरण सम्मिलित हो, कामगार या कामगारों की छंटनी के दस दिवसों के अन्दर राज्य सरकार को धनराशि के उनके खातों में स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध कराएगा।

अध्याय–12

अपराध और दण्ड

58. धारा 89 की उप–धारा (1) के तहत निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध की संरचना की रीति और धारा 89 की उप–धारा (4) के तहत अपराध के उपषमन के लिए आवेदन करने की रीति –

(1) धारा 89 की उपधारा (1) के तहत अपराधों के उपशमन के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (बाद में उपशमन अधिकारी के रूप में संदर्भित), उन अपराधों में जिनमें प्राभियोजन दायर नहीं किया गया है, उपशमन अधिकारी का मत है कि संहिता के तहत कोई अपराध जिसके लिए धारा 89 के तहत उपशमन की अनुमति है, वह विभाग के पोर्टल या किसी अन्य माध्यम से **प्रपत्र–प** तीन भागों में, दोषी को नोटिस भेजेगा। ऐसे प्रपत्र के भाग–I में, उपशमन अधिकारी, अंतर–अपराधी और उसके अन्य विवरणों का नाम, अपराध का विवरण और किस धारा में अपराध किया गया है, उपशमन राशि का भुगतान जमा किया जाना आवश्यक है, का उल्लेख करेगा। प्रपत्र के भाग–II में, यदि अपराध का उपशमन नहीं किया जाता है तो इसका परिणाम तथा इस प्रपत्र के भाग–III में दोषी के द्वारा यदि वह अपराध के उपशमन का इच्छुक है तो आवेदन पत्र को भरे जाने का उल्लेख किया जाएगा।

प्रत्येक नोटिस का एक विशिष्ट क्रमांक संख्या होगी जिसमें अक्षर या संख्या और अन्य विवरण सहित जैसे नोटिस भेजने के वर्ष, स्थान, आसान पहचान के प्रयोजन के लिए निरीक्षण का प्रकार।

(2) जिन अभियुक्तों को उप–नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस भेजा गया है, वे उसके द्वारा भरे गए फॉर्म के भाग–III को विधिवत रूप से उपशमन अधिकारी को भेज सकते हैं और उपशमन राशि को इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम से नोटिस प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अन्दर उपशमन अधिकारी द्वारा नोटिस में उल्लेख किए गए खाते में जमा भेज सकते हैं।

(3) जहां अभियुक्त के खिलाफ पहले से ही प्राभियोजन सक्षम न्यायालय में दायर किया जा चुका है, वह न्यायालय में उसके विरूद्ध अपराध के उपशमन के आवेदन कर सकता है और न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के उपरांत, धारा–89 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपशमन द्वारा अपराध की संरचना की अनुमति दे सकता है।

(4) यदि अभियुक्त उप–नियम (२) की आवश्यकता का अनुपालन करता है, तो उपशमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई राशि की राशि और :–

(क) यदि प्राभियोजन दायर किए जाने से पूर्व उपशमन किया जाता है तब प्राभियोजन के लिए अभियुक्त के खिलाफ शिकायत का कोई प्राभियोजन दायर नहीं किया जाएगा, तथा

(ख) यदि न्यायालय की अनुमति से उप–नियम (3) के तहत प्राभियोजन दायर के उपरांत उपशमन किया जाता है, तो, उपशमन अधिकारी इस मामले को बंद मान लेगा जैसे कि कोई प्राभियोजन लॉन्च नहीं किया गया था और उपशमन की कार्यवाही के अनुसार कार्यवाही करते हुए सक्षम न्यायालय, जहां प्राभियोजन लंबित है, को अपराध के उपशमन किए जाने की सूचना देगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय अभियुक्त को मुक्त कर देगा और प्राभियोजन बंद कर देगा।

(5) उपशमन अधिकारी राज्य सरकार के निर्देश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, इस नियम के तहत अपराध को कम करने के लिए शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय–13

विविध

59. धारा 90 की उप–धारा (3) और (4) के तहत संरक्षित कामगार–

(1) प्रत्येक व्यवसाय संघ, जो औद्योगिक स्थापन से जुड़ा हो, जिस पर संहिता लागू है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पहले ऐसे संघ के पदाधिकारियों के नाम जो स्थापन में नियोजित हैं और संघ की राय में उन्हें ''संरक्षित कामगार'' के रूप में मान्यता दी जानी हो, के संबंध में नियोजक को संसूचित करेगा।

किसी पदाधिकारी के परिवर्तन के संबंध में नियोजक तथा क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त तथा राज्य के श्रम आयुक्त को परिवर्तन के पंद्रह दिनों के अन्तर्गत सूचना दी जाएगी।

(2) नियोक्ता, धारा 90 के उप–धारा (3) और उप–धारा (4) के अधीन ऐसे कामगारों को धारा 90 के प्रयोजनों के लिए ''संरक्षित कामगारों'' के रूप में मान्यता देगा और उप–नियम (1) के तहत नाम और पते की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, सूचना की तिथि से बारह माह की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त ऐसे 'संरक्षित कामगारों' की सूचना, संघ को देगा।

(3) जहां उप–नियम (1) के तहत नियोक्ता द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या औद्योगिक स्थापन के लिए अनुमन्य संरक्षित कामगारों की संख्या से अधिक है, नियोजक धारा–90 की उप–धारा (4) के तहत, अधिकतम संख्या तक ''संरक्षित कामगारों'' को मान्यता देगा।

परन्तु जहां औद्योगिक स्थापन में एक से अधिक पंजीकृत व्यवसाय संघ हैं, वहां नियोक्ता द्वारा संघों द्वारा अधिकतम संख्या ऐसे वितरित की जाएगी कि व्यक्तिगत संघों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कामगारों की संख्या व्यावहारिक रूप से एक दूसरे संघ की सदस्यता की संख्या के समान अनुपात में हो। नियोजक, ऐसे मामले में लिखित में प्रत्येक सम्बन्धित संघ के अध्यक्ष और सचिव को संरक्षित कामगारों की संख्या के संबंध में सूचति करेगा।

परन्तु यह भी कि जहां इस उप–नियम के तहत एक संघ को आवंटित संरक्षित कामगारों की संख्या सुरक्षा की मांग करने वाले संघ के पदाधिकारियों की संख्या से कम होती है, संघ को संरक्षित कामगारों के रूप में मान्यता प्राप्त पदाधिकारियों का चयन करने का अधिकार होगा। इस तरह का चयन संघ द्वारा किया

जाएगा और इस संबंध में नियोक्ता का पत्र प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर नियोक्ता को सूचित किया जाएगा।

(4) जब इस नियम के तहत 'संरक्षित कामगारों' की मान्यता से जुड़े किसी भी मामले में एक नियोक्ता और किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद संबंधित क्षेत्र के किसी भी क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त को सन्दर्भित किया जाएगा, जो इस विवाद को सुनेंगे और श्रम आयुक्त को एक रिपोर्ट भेजेंगे, जो इस मामले को तय करेगे और जिसका निर्णय अंतिम होगा।

60. धारा 91 के तहत एक पीड़ित कामगार द्वारा शिकायत करने की रीति –

(i) संहिता की धारा 91 के तहत प्रत्येक शिकायत को **प्रपत्र–फ** में और शिकायत में जितने प्रतिवादी पक्ष हों, उतनी प्रतियां संलग्न करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

(ii) उप–नियम (1) के तहत प्रत्येक शिकायत को, शिकायत करने वाले कामगार या कामगार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जैसा भी मामला हो, जो मामले से सम्बन्धित तथ्यों से विज्ञ हो, सत्यापित कर संराधन अधिकारी, आर्बिट्रेटर, औद्योगिक न्यायाधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

61. धारा 94 की उप–धारा (1) के तहत किसी भी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कामगार की ओर से अधिकृत किए जाने की रीति – जहां कामगार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, तो व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी का कोई सदस्य या पदाधिकारी या कोई अन्य कामगार जो उद्यम, जिसमें कामगार नियोजित रहा है, को ऐसे कामगार का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, जो संहिता के अन्तर्गत विवाद से सम्बन्धित है और जिसमें कामगार पक्षकार है कार्यवाही कर किसी अन्य कार्यालय का कोई भी सदस्य– ट्रेड यूनियन उस उद्योग में कार्यरत या किसी अन्य श्रमिक से जुड़ा होता है, जिसमें श्रमिक कार्यरत होता है, ऐसे श्रमिक द्वारा उसे किसी विवाद से संबंधित कोड के तहत किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए **प्रपत्र–ट** में अधिकृत किया जा सकता है।

62. धारा 94 की उप–धारा (2) के अन्तर्गत किसी कार्यवाही में नियोजक की ओर से प्रतिनिधि अधिकृत किए जाने की रीति– जहां नियोजक, नियोजक के एशोसिएशन का सदस्य नहीं है, नियोजक के किसी एशोसिएशन से जुड़ा हुआ पदाधिकारी या कोई अन्य नियोजक जिसे उद्यम में लगे नियोजक की ओर से संहिता के अंतर्गत किसी झी सम्बन्धित विवाद, जिसमें नियोजक पक्षकार है, को वह **प्रपत्र–ट** में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

63. धारा 85 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत शिकायत की पड़ताल करने की रीति –

(1) धारा–86 की उपधारा (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) और (20) के अन्तर्गत अपराध किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर, इसकी धारा 85 की उपधारा (1) के तहत उत्तराखण्ड सरकार के ऐसे किसी

अधिकारी जो संयुक्त श्रम आयुक्त के पद से कम का न हो, के द्वारा की जाएगी (जिसे इसके पश्चात जांच अधिकारी सन्दर्भित किया जाएगा)।

(2) नोटिस निर्गत करना– यदि दी गयी शिकायत को जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो वह व्यक्ति या व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गये नोटिस द्वारा और इसकी प्रति विभागीय पोर्टल पर प्रेषित करते हुए निर्दिष्ट तिथि पर सभी सम्बन्धित दस्तावेजों और गवाहों, यदि कोई हों, सहित उसके समक्ष उपस्थित हाने हेतु आहूत करेगा औश्र निर्दिष्ट तिथि के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करेगा।

(3) यदि व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि निर्दिष्ट तिथि पर उपस्थित नहीं होता है तो जांच अधिकारी सुनवाई की अग्रेत्तर कार्यवाही और एक पक्षीय निर्णय कर सकता है।

(4) यदि शिकायतकर्ता निर्दिष्ट तिथि पर जांच अधिकारी को दिये लगातार दो बार उपस्थित नहीं होता है, तो शिकायत को खारिज किया जा सकता है।

परन्तु यह कि शिकायतकर्ता और प्रतिवादी के संयुक्त आवेदन पर तीन बार से अधिक स्थगन नहीं दिया जा सकेगा।

परन्तु यह भी कि जांच अधिकारी अपने विवेक से पक्षों या किसी भी पक्ष की जैसा भी मामला हो, वीडियों कान्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई की अनुमति दे सकता है।

(5) **अधिकृत किया जाना –** धारा 85 की उप धारा (2) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति की ओर से उपस्थिति हेतु अधिकार पत्र प्रमाण पत्र या इलैक्ट्रोनिक रूप से निर्गत प्रमाण पत्र जैसा भी मामला हो, जिसे शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा, और यह अभिलेख का भाग बनेगा।

(6) **उपस्थिति हेतु अनुमति–** कोई व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित होने का इरादा करता है, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा और उपस्थिति के कारणों का उल्लेख का संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तु करेगा। जांच अधिकारी इस विवरण पर अपना आदेश अंकित करेगा और इंकार किये जाने के मामले में इसके कारणों को भी सम्मिलित करेगा और इसे अभिलेख में शामिल कर देगा।

(7) **दस्तावेजों की प्रस्तुतिः–** शिकायत या अन्य दस्तावेज जो शिकायत से सम्बन्धित हों व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जांच अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये घण्टों के दौरान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किये जा सकते है।

(8) जांच अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज पर पृष्ठांकन या पृष्ठांकन की वजह, प्रस्तुत किये जाने या प्राप्ति की तिथि , जैसा ककी भी मामला हो अंकित करेगा। यदि दस्तावेज इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत किये गये है तो ऐसा प्रष्ठांकन आवश्यक नहीं है।

(9) **शिकायत विचार करने से इंकार–** (i) जांच अधिकारी धारा 85 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत शिकायत पर विचार करने से इंकार कर सकता है, यदि शिकायतकर्ताको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अभिलिखित कारणों से संतुष्ट है किः–

(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का पत्र नहीं है।

(ख) शिकायतकर्ता इस संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कालातीत है।

(ग) शिकायतकर्ता जांच अधिकारी द्वारा धारा 85 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है।

(ii) जांच अधिकारी ऐसी शिकायत जो किसी भ्झी प्रकार से अपूर्ण हो, को लेने से इन्कार कर सकता है। वह शिकायतकर्ता से कमियों को दुरस्त करने के लिए कह सकता है और यदि जांच अधिकारी समझता है कि शिकायत को दुरस्त नहीं किया जा सकता है तो वह शिकायत की कमियों को इंगित करते हुए शिकायत वापस कर सकता है और यदि वह ऐसा इन्कार करता है तो वह तुरन्त ही कमियों को इंगित कर वापस कर देगा। यदि शिकायत, कमियां दुरस्त करने के बाद पुनः प्रस्तुत की जाती है, तो प्रस्तुत की जाने वाली तिथि को धारा85– की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने की तिथि माना जाएगा।

(10) कार्यवाही का अभिलेख– जांच अधिकारी सभी मामलों में आदेश पारित करते समय विवरण सहित, विवरणों का उल्लेख करेगा, यथा–शिकायत की तिथि, शिकायतकर्ता का नाम और पता, प्रतिवादी पक्ष या पक्षों का नाम व पता, किए गए अपराधों का धारा सहित विवरण। प्रतिवादी पक्ष की दलील, निषकर्श और कारणों का संक्षिप्त विवरण और लगाया गया जुर्माना अपने हस्ताक्षर सहित तिथि एंव स्थान।

(11) शक्तियों का प्रयोग– सिविल प्रकिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में जांच अधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की प्रथम अनुसूचि के तत्सम्बन्धी आदेशों द्वारा निर्देशित सम्बन्धित प्रक्रिया द्वारा ऐसे परिवर्तन के सार को प्रभावित किये बिना उनके समक्ष मामलों में उपान्तरण करने के लिए, इस संहिता या इस नियम के अन्तर्गत विरोधाभास को छोड़कर, जो आवश्यक हो कर सकता है।

(12) आदेश या निर्देश कब दिये जाए– मामले की सुनवाई पूर्ण होने के उपरान्त जांच अधिकारी आदेश या इस प्रयोजन के लिए आगामी तिथि नियत किये जाने के निर्देश देगा।

(13) दस्तावेजों का निरीक्षण– कोई व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता या प्रतिवादी पक्ष या उसका प्रतिनिधि है, या अन्य व्यक्ति जिसे उप–नियम (3) के अन्तर्गत अनुमति है, किसी शिकायत या जांच अधिकारी के पास दाखिल अन्य दस्तावेजों, ऐसे मामलों में जिसमें वह पक्षकार है, के निरीक्षण का पात्र होगा।

64. छूट देने की शक्तियां– (1) जहां समुचित सरकार संतुष्ट है कि किसी औद्योगिक स्थापन या उपकम या किसी औद्योगिक स्थापन के वर्ग या उपकम के उददेश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रावधान संहिता के किसी भी प्रावधान में विद्यमान है तो वह अधिसूचना के द्वारा ऐसे स्थापन या उपकम या अन्य स्थापन के वर्ग या उपकम को सशर्त या बिना शर्त के साथ उस संहिता के उस प्रावधान से छूट प्रदान कर सकती है।

(2) उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां समुचित सरकार संतुष्ट है कि नए औद्योगिक स्थापन या अन्य उपकम या नए औद्योगिक स्थापन के वर्ग या नए उपकम के सम्बन्ध में, कि ऐसा किया जाना जन हित मे हो, वह ऐसे किसी नए स्थापन या नए उपकम या नए स्थापनों के वर्ग या नए उपकम को इसकी अधिसूचना द्वारा सशर्त या बिना शर्त के साथ संहिता के सभी या किसी प्राविधान से स्थापना की तिथि से ऐसे नए औद्योगिक स्थापन या नए उपकम या नए स्थापन के वर्ग या उपकम को, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि जिसका अधिसूचना में उल्लेख किया जाए, के लिए छूट प्रदान कर सकती है।

परन्तु यह भी राज्य सरकार द्वारा इस संहिता के प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत इस उपधारा के उददेश्य की प्राप्ति के लिए जारी किया गया हो, इसके प्रारम्भ होने की तिथि से अवशेष अवधि तक यह मानते हुए कि इससे, इस संहिता के प्रावधान इस सीमा तक लागू नहीं किए गए हैं कि वह राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसी अधिसूचना के उददेश्य को विफल नहीं करेगा।

व्याख्या :– इस उपनियम के प्रयोजन के लिए ''नया औद्योगिक स्थापन या नया उपक्रम या नये औद्योगिक स्थापन का वर्ग या नया उपक्रम'' का अर्थ है, ऐसे औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या औद्योगिक स्थापन का वर्ग या उपक्रम जो अधिसूचना में उल्लिखित अवधि में स्थापित किए जाएं।

65. धारा 99 के उप–खंड 2 के खंड (ययच) के तहत महानिदेशक, श्रम ब्यूरो को प्रेषित किए जाने वाले प्रपत्र – प्रपत्र–थ (हड़ताल की सूचना), प्रपत्र–द (तालाबंदी की सूचना), प्रपत्र–ध (राज्य सरकार को छंटनी या बंदी का नोटिस), प्रपत्र–न (ले–ऑफ या छंटनी या बंदी के लिए आवेदन), और प्रपत्र–प (अपराधों का उपशमन) इलेक्ट्रॉनिक रूप से आटोमोड से महानिदेशक, लेबर ब्यूरौ को प्रेषित की जाएगी।

प्रपत्र–क

(नियम 2 देखें)

(सुलह/या समझौते के दौरान हुए निपटान का ज्ञापन नियोक्ता और उनके कार्यकर्ताओं के बीच हुआ हो अन्यथा सुलह कार्यवाही मान्य होगी)

पक्षों के नामः

....नियोक्ता का प्रतिनिधि

....कामगार का प्रतिनिधि

वाद का संक्षिप्त विवरण

....

निपटान की शर्तें

पक्षों के हस्ताक्षर

साक्षी (1)

(२)

सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि समझौता नियोक्ता और उसके श्रमिकों के बीच हुआ तो सुलह की कार्यवाही के दौरान ज्ञापन की प्रति संबंधित क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त और राज्य के श्रम आयुक्त को प्रेषित की जाएगी।

प्रपत्र–ख

व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु आवेदन

नियम 10(1) देखे

दिनांक....................वर्ष

1. हम एक ट्रेड यूनियन संघ की रजिस्ट्री के लिये प्रार्थना पत्र देते हैं जिसका नाम.................है।
2. संघ के प्रधान कार्यालय का पता........................है
3. संघ के प्रधान कार्यालय का ई.मेल ....है।
4. संघ तारीख...........................माह...............सन.....................को स्थापित हुआ।
5. संघ ऐसे नियोजक/कर्मचारियों का संघ है जो.................................के उद्योग/पेशे में नियोजित हैं।
6. नियम 10(1)(क) के अन्तर्गत वांछित विवरण, जैसा कि परिशिष्ट–1 में दिया गया है। (संलग्न है)
7. नियम 10(1)(ख) के अन्तर्गत वांछित विवरण, जैसा कि परिशिष्ट–2 में दिया गया है। (संलग्न है)
8. नियम 10(2) के अन्तर्गत वांछित विवरण, जैसा कि परिशिष्ट–3 में दिया गया है। (संलग्न है)
9. निम्नांकित हस्ताक्षरकर्ताओं को संघ की आम बैठक निांक.......................के द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन करने को अधिकृत किया गया।

हस्ताक्षरित	हस्ताक्षर	पद	नियोजन का स्थान
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

अनुसूची–1

पदाधिकारियों की तालिका

पदनाम	नाम	आयु	पता	व्यवसाय

टिप्पणी–इस अनुसूची के कालम–1 में कार्यकारिणी के सदस्य के अतिरिक्त, कार्यकारिणी के सदस्यों के पदनाम (उदाहरणार्थ–अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि) दर्ज किया जाये।

अनुसूची–2

विधान के नियमों का हवाला

नियमों में विभिन्न विषयों के लिये नियमों के विषय एवं संख्या का उल्लेख निम्नांकित स्तम्भ–1 एवं 2 में दिया गया है।

विषय

नियमों की सुविधायें

स्ंघ का नाम

समस्त उददेश्य जिनके लिये संघ स्थापित किया गया।

समस्त उददेश्य जो संघ की सामान्य निधि के लिये लागू होगें।

यदस्यों की सूची का रख–रखाव

पदाधिकारियों की सूची के निरीक्षण के लिए सुविधांयें

साधारण सदस्यों का प्रवेश

विशिष्ट अथवा अस्थाई सदस्यों का प्रवेश

शर्तें जिनके अन्तर्गत सदस्य नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित लाभों के अधिकारी होगें

शर्तें जिनके अनुसार जुर्माना या जब्तियां की जा सकती हों या उनका परिवर्तन किया जा सकता हो

थ्नयमों के संशोधन/परिवर्तन अथवा परित्याग की विधि

कार्यकारिणी के सदस्यों अथवा पदाधिकारियों को नियुक्त करने अथवा हटाने की विधि

कोष की सुरक्षा का समुचित प्रबंध

वर्षिक लेखा परीक्षा

पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा लेखा पंजिकाओं के निरीक्षण की सुविधा

वह विधि जिसके अनुसार संघ को भंग किया जा सकता है।

अनुसूची–3

मार्च वर्ष.. को देनदारियों एवं परिसम्पत्तियों का विवरण

(यदि संघ, आवेदन की तिथि से एक वर्ष कम की अवधि में अस्तित्व में आया है, तो संघ के द्वारा नहीं भरा जाएगा)

देनदारियां	धनराशि रू0 में	परिसम्पत्तियां	धनराशि रू0 में
सामान्य निधि की धनराशि			
राजनीतिक निधि/ऋण की धनराशि		नकद :	
ऋण......से		कोषाध्यक्ष के पास	
अन्य देनदारियां (उललेख करें)		सचिव के पास	
कुल देनदारियां		बैंक में जमा	
		प्रतिभूतियां निम्न सूची के अनुसार	
		ऋण की अद्यतन किस्त	
		अचल सम्पत्ति	
		वस्तुंए एवं फर्नीचर	
		अन्य परिसम्पत्तियां (उल्लेख किया जाए)	
		कुल परिसम्पत्तियां	

प्रपत्र–ग

व्यवसाय संघ हेतु पंजिका

नियम–11(1) देखें

क्रमांक

संघ का नाम
प्रधान कार्यालय का पता
रजिस्ट्रीकरण की दिनांक

क0सं0	कार्यालय में प्रवेश की दिनांक	नाम	प्रवेश के समय आयु	पता	व्यवसाय	कार्यालय छोड़ने की दिनांक	यूनियन कार्यालय के अतिरिक्त अन्य कार्यालय जहां पूर्व में कार्यरत रहे
1							
2							
3							
4							
5							

6 7							

प्रपत्र–घ

व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का पमाण पत्र

(नियम 11(2) देखें)

कमांक__________

इस प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि..(यूनियन का नाम) का आज.....................................के माह.......................वर्ष....................................को औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 9(2) के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया।

रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स
उत्तराखण्ड

प्रपत्र–ड़

पंजीयन प्रमाण पत्र का वापस करने अथवा निरस्त कराने हेतु आवेदन पत्र

(नियम 27(1) देखें)

व्यवसाय संघ का नाम..........................

पंजीयन संख्या........................दिनांक..........................

सेवा में,

रजिस्ट्रार

ट्रेड यूनियन्स, उत्तराखण्ड

पता................

उपरोक्त ट्रेड यूनियन की इच्छा है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अन्तर्गत पंजीयन को वापस अथवा निरस्त किया जाये। आम सभा की बैठक दिनांक....................में पारित प्रस्ताव निम्नानुसार है :

(पारित प्रस्ताव की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)

सात सदस्य/सचिव के हस्ताक्षर

दिनांक................................

प्रपत्र–च

31 दिसम्बर 20..........को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (संख्या 35 वर्ष 2020) की धारा–26(1) के अन्तर्गत नियत वार्षिक विवरण

(नियम 28(1) देखें)

संघ का नाम
पंजीकृत प्रधान कार्यालय
पंजीयन प्रमाण पत्र का क्रमांक

व्यवसाय संघों के फेडरेशन द्वारा विवरण दिया जाना है	वर्ष के प्रारम्भ में सम्बद्ध संघों की संख्या
	वर्ष के दौरान शामिल होने वाले संघों की संख्या
व्यवसाय संघों के फेडरेशन द्वारा यह विवरण दिया जाना आवश्यक नहीं है	वर्ष के अंत में असम्बद्ध किये गये संघों की संख्या
	वर्ष के आरम्भ में बहियों में सदस्यों की संख्या
	वर्ष के दौरान दाखिल हुए सदस्यों की संख्या (आपस में जोड़ा जाए)
	वर्ष के दौरान छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या (घटाया जाए)
	वर्ष के अन्त में बहियों में कुल सदस्यों की संख्या
	पुरूष
	महिलांए
	राजनीतिक निधि में अंशदान देने वाले सदस्यों की संख्या

व्यवसाय संघ के नियमों की एक प्रति, जो इस रिटर्न के प्रेषण की तिथ्ज्ञि तक सही है, संलग्न है।

दिनांक................................वर्ष...................................

वर्ष... को देनदारियों एवं परिसम्पत्तियों का विवरण

(यदि संघ, आवेदन की तिथि से एक वर्ष कम की अवधि में अस्तित्व में आया है, तो संघ के द्वारा नहीं भरा जाएगा)

देनदारियां	धनराशि रू0 में	परिसम्पत्तियां	धनराशि रू0 में
सामान्य निधि की धनराशि			
राजनीतिक निधि/ऋण की धनराशि		नकद :	
		कोषाध्यक्ष के पास	
ऋण......से		सचिव के पास	
अन्य देनदारियां (उललेख करें)		बैंक में जमा	
		प्रतिभूतियां निम्न सूची के अनुसार	
कुल देनदारियां			

ऋण की अद्यतन किस्त
अचल सम्पत्ति
वस्तुंए एवं फर्नीचर

अन्य परिसम्पत्तियां (उल्लेख
किया जाए)
कुल परिसम्पत्तियां

प्रतिभूतियों की सूची

विवरण	सांकेतिक	बाजार मूल्य	वर्तमान मूल्य

कोषाध्यक्ष

सामान्य निधि खाता

आय	धनराशि रू0	व्यय	धनराशि रू0
वर्ष के प्रारम्भ में अवशेष सदस्यों से प्राप्त चन्दा, जो सदस्यों द्वारा दान दिय गया पाक्षिक और नियमों के विक्रय आदि		पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और अन्य व्यय, स्थापन के वेतन भतते और व्यय लेखा परीक्षक का शुल्क विधिक व्यय	
विविध स्त्रोतों (स्पष्ट उललेख किया जाए) से विनिवेश के ब्याज से प्राप्त आय		व्यवसायिक विवादों से उत्पन्न व्यवसायिक विवादों के प्रतिकर के भुगतान के व्यय	
	अंत्येष्टि, अधिक आयु, बीमारी, बेरोजगारी के लाभ आदि, शैक्षिक, सामाजिक एवं धार्मिक लाभ पाक्षिकों के प्रकाशन का मूल्य किराया दरें एवं कर लेखन–सामग्री, छपाई और डाक–टिकट व्यय (स्पष्ट उल्लेख करना है) अन्य व्यय (स्ष्ट उल्लेख करना है) वर्ष की समाप्ति पर अवशेष		
योग		योग	

राजनीतिक निधि खाता

	रू0		रू0
वर्ष के प्रारम्भ में शेष		वस्तुओ पर किया गया भुगतान	
सदस्यों द्वारा प्रति सदस्य की दर से अंशदान		प्रबंधन के खर्चे (उल्लेख किया जाए)	
		वर्ष के अन्त में शेष	
योग		योग	

कोषाध्यक्ष

लेखा परीक्षक की घोषणा

अधोहस्ताक्षरी द्वारा व्यवसाय संघ के सभी पुस्तकों एवं लेखों के पहुंच तथा पूर्ववर्ती विवरणों का परीक्षण किया गया तथा सत्यापन पर यह सभी सही पाये गये, इन सभी के बीजक बनाये गये और विधि के अनुसार, विषय से स्म्बन्धित टिप्पणी, यदि कोई हो, इसके साथ संलग्न है।

लेखा–परीक्षक

वर्ष के दौरान पदाधिकारियों के निम्न परिवर्तन किये गये, पाये गये –

कार्यालय त्यागने वाले पदाधिकारी

नाम	कार्यालय	छोड़ने की दिनांक

नियुक्त किए गये पदाधिकारी

नाम	आयु	कार्यालय	पता	व्यवसाय	नियुक्ति की दिनांक

सचिव

प्रपत्र–छ

नियम 37(1) देखें

प्रमाणित स्थाई आदेशों हेतु पंजिका

क्र0 सं0	आवेदक का नाम	स्थाई आदेश को समाहित करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम	आक्यूपायर का नाम व पता	उद्योग की श्रेणी	औद्योगिक प्रतिष्ठा में कर्मकारों की संख्या	ट्रेड यूनियन अथवा कर्मकारों के प्रतिनिधियों का नाम व पता	औद्योगिक प्रतिष्ठान से सम्बन्ध रखने वाली ट्रेड यूनियन के सदस्यों की संख्या	अनुसूची के मामले	प्रमाणीकरण की तिथि	आवेदन की तिथि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

संशोधन

संशोधन–1			संशोधन–2			संशोधन–3			संशोधन–4		
आवेदन की दिनांक	स्वीकृति की दिनांक	किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में)	आवेदन की दिनांक	स्वीकृति की दिनांक	किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में)	आवेदन की दिनांक	स्वीकृति की दिनांक	किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में)	आवेदन की दिनांक	स्वीकृति की दिनांक	किये गये संशोधन (संक्षिप्त रूप में)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

प्रपत्र–ज

स्थाई आदेषों में संषोधन हेतु आवेदन

(नियम–38 देखें)

नियोक्ताओं की संस्था का नाम अथवा कामगारों का नाम :
पता :

सेवा में,
प्रमाणन अधिकारी (स्थाई आदेश)
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
पता :..

प्रिय महोदय,

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा–38 के प्रावधानों के अनुसार, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि निम्नलिखित औद्योगिक स्थापन में अपनाये गये स्थाई आदेश संख्या.......20.......में संशोधन किए जाने का इच्छुक हूं :

2. मैं यह घोषणा करता हूं – स्थाई आदेशों को अस्तित्व में आए या उनमें अंतिम संशोधन हुए छह माह व्यवतीत हो चुके हैं।
————————————————————————
संशोधन प्रस्तावित करने वाले नियोजक व कामगारों के मध्य एक समझौता हो चुका है, जिसकी प्रति यहां संलग्न है।

3. इच्छित संशोधन/संशोधनों को इंगित करने वाले स्थाई आदेशाों की पांच प्रतियां संलग्न है।

4. कामगारों के ब्यौरे तथा व्यवसाय संघ के नाम व ब्यौरों के संबंध में कोई परिवर्तन, जोकि उनके द्वारा अंतिम बार प्रस्तुत किया गया था, भी संलग्न शीट में इंगित है।

औद्योगिक स्थापनों की सूची

क0सं0	औद्योगिक स्थापन का नाम	नियोजक का नाम व पदनाम	स्थापन की श्रेणी	पता (पंजीकृत कार्यालय)	वह दिनांक जिस पर स्थाई आदेश या अन्तिम संशोधन अस्तित्व में आए	अपेक्षित संशोधन	टिप्पणी

भवदीय
(नाम एवं पदनाम)

प्रपत्र–झ

(नियम 39 देखें)

(एक नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित सेवा शर्तों के परिवर्तन की सूचना)

नियोक्ता का नाम...

पता...

दिनांक..................दिन...............20..........

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40 (1) के अनुसार मैं/हम सभी सम्बंधित को सूचित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम इस संहिता की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कामगारों पर सेवा शर्तों में...से अनुबंध में परिवर्तन/परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूं/चाहते हैं।

हस्ताक्षर....................................

पद..

अनुलग्नक

(प्रभावित होने के प्रयोजनार्थ उल्लिखित परिवर्तन)

इस प्रतिलिपि को अग्रेषित करें:

1. पंजीकृत व्यवसाय संघ के सचिव, यदि कोई हो।
2. सम्बंधित उप श्रम आयुक्त।
3. श्रम आयुक्त।

प्रपत्र–ञ

(स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए समझौता)

(नियम 40 देखें)

मध्य

.... नियोक्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों के नाम

तथा

....कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षों का नाम

निम्नलिखित विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए पक्षों के बीच यह सहमति बनी है............

[यहां मध्यस्थ के नाम और पते का उललेख करें]

(i) विवाद में विर्निदिष्ट मामले।

(ii) शामिल प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता सहित विवाद के पक्षों का विवरण

(iii) कामगार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में शामिल हो या संघ, यदि कोई हो जो प्रश्नगत कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व करता हो, का नाम

(iv) प्रभावित उपक्रम में कार्यरत कुल कामगारों की संख्या।

(अ) विवाद से प्रभावित या प्रभावित होने वाले कामगारों की अनुमानित संख्या।

''हम मध्यस्तों के बहुमत के फैसले से सहमत हैं) मध्यस्थ को अगर समान रूप से विभाजित किया जाता है तो वे अपनी राय में एक अन्य व्यक्ति को अंपायर नियुक्त करेंगे जिसका निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्त एक निश्चित अवधि.................... अपना निर्णय देंगे। (यहां पार्टियों द्वारा सहमत अवधि निर्दिष्ट करें). केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में या इस तरह के भविष्य के प्रकाशनों में इस समझौते के प्रकाशन के दिनांक को लिखित रूप से हमारे बीच आपसी समझौते द्वारा बढ़ाया गया है। यदी मामले में निर्णय उल्लेखित अवधि के भीतर नहीं किया गया, तो मध्यस्थता का संदर्भ स्वतः रूप से रद्द हो जाएगा और हम नए मध्यस्थ को खोजने के लिए स्वतंत्र होंगे।

पक्षें के हस्ताक्षर नियोक्ता और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हुएः

गवाह

1................

2................

इसकी प्रति भेजेंः

(i) सुलह अधिकारी [संबंधित क्षेत्र के लिए सुलह अधिकारी के कार्यालय का पता दर्ज करें]।

(ii) सचिव, श्रम, उत्तराखंड सरकार।

(iii) श्रम आयुक्त, उत्तराखंड।

कामगार/कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले।

प्रपत्र–ट

(नियम 42, 61 देखें)

(इस संहिता के तहत एक कार्यकर्ता, कार्यकर्ता के समूह, नियोक्ता, नियोक्ता के समूह द्वारा प्राधिकारी के समक्ष एक कार्यवाही में प्रतिनिधित्व किया जाएगा)।

प्राधिकारी के समक्ष

(यहां संबंधित अधिकारी का उल्लेख करें)

(कार्यवाही के नाम का उल्लेख करें)

............कार्यकर्ता विपक्षी......................................नियोक्ता

मैं /हम श्री/सर्वश्री 1............... 2............... 3............... को अपना नेतृत्व करने के लिए अधिकृत करते हैं।

दिनांक ....दिन ....20................

प्रतिनिधि को मनोनीत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

पता स्वीकार किया गया

प्रपत्र–ठ

(नियम 43(21) और 44(21) देखें)

राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के लिए पद की शपथ

मैं राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण का नाम) के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के रूप में नियुक्त किया गया हूँ और मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक के रूप में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से निभाऊंगा। राजकीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल का नाम) का सदस्य होने के नाते मेरी क्षमता, ज्ञान और निर्णय, बिना किसी डर या पक्षपात के, स्नेह या बीमार इच्छा से प्रभावित नहीं होंगे। जो संविधान और भूमि के कानूनों की गरिमा को बनाए रखेगा मैं वह ही कार्य करूंगा।

स्थानः

दिनांकः (हस्ताक्षर)

प्रपत्र–ड़

(नियम 45(5) देखें)

(सुलह अधिकारी द्वारा मामले का निपटारा न होने पर न्यायाधिकरण को आवेदन पत्र)

....के समक्ष पेशी (यहाँ पर अधिकार क्षेत्र के न्यायाधिकरण का नाम उल्लेखित करें)

......................के मामले में आवेदक का पता.............................विपक्ष का पता.............................

उपर्युक्त आवेदक को बताना होगाः –

(यहां प्रासंगिक तथ्यों और मामलों की परिस्थितियों को निर्धारित करें)ः –

आवेदक की प्रार्थना है कि विवादों को तत्काल स्थगित किया जाए ताकि जल्द–से–जल्द उचित निर्णय लिया जा सके।

दिनांक......

स्थान......

प्रपत्र–ढ़
सम्मन
(नियम 45(10) देखें)

समक्ष औद्योगिक न्यायाधिकरण ....
अभिनिर्णय वाद संख्या............

सेवा में,

प्रबन्धक......................................

सचिव.......................................

चूंकि एक औद्योगिक विवाद..तथा इसके कामगार/कामगारों के मध्य विवाद को इस न्यायाधिकरण को सन्दर्भित किया गया है, एतदद्वारा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अन्तर्गत इस औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या उत्तराखण्ड औद्योगिक संबंध नियम, 2021 के नियम 45 (10) के अनुसार अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से कथित विवाद के संबंध में सारवान प्रश्नों का उत्तर देने हेतु निश्चित तिथि..................समय..............पूर्वान्ह/अपारान्ह को इस औद्येगिक न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थिति हेतु आहूत किया जाता है और आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि उस दिन सभी पुस्तकें, कागजात और अन्य दस्तावेज और अन्य वस्तुंए जो आपके अधिकार में हों या अन्य प्रकार से पूछताछ और जांच से सम्बन्धित तथ्य जो आपके नियन्त्रण में हों प्रस्तुत करें। अपना लिखित कथन, यदि कोई है, तो उसे भी दो प्रतियों में उपरोक्त तिथि पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक....................20......

पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार
औद्योगिक न्यायाधिकरण

प्रपत्र–ण
समझौते का पंजीयन
(नियम–45(35) देखें)

पंजीयन संख्या	पक्षों का नाम व पता	समझौते की शर्तें	समझौते की दिनांक	पंजीकरण की दिनांक	पंजीयन अधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7

प्रपत्र–त
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र
(नियम–45(35) देखें)

एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि समझौते का ज्ञापन दिनांक..........................जोकि.................. ....के मध्य, जिसकी प्रति संलग्न है, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत आज...............दिवस...............माह..............वर्ष दो हजार दो सौ...............को रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

संराधन अधिकारी एवं प्रमाणन अधिकारी,
उत्तराखण्ड

प्रपत्र–थ

(नियम 46 देखें)

(श्रमिकों और उनके समूहों (के नाम) द्वारा यूनियन को हड़ताल के लिए सूचना पत्र)

श्रमिकों द्वारा चुने हुए 5 प्रतिनिधियों के नाम...........

दिनांक.....................दिन...................20..........

(नियोक्ता का नाम).

आदरणीय महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं/हम औद्योगिक सम्बंध संहिता की धारा 62 की उप–धारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुलग्नक में उल्लेखित कारणों के चलते दिनांक............20............. हड़ताल का आह्वान करते हैं/प्रस्ताव रखते हैं.

सधन्यवाद।

(यूनियन सचिव)

(दिनांक)....................को हुई बैठक में श्रमिकों के विधिवत चुने गये पाँच प्रतिनिधि, संलग्न प्रस्ताव द्वारा }

अनुलग्नक

मामले का बयान।

प्रतिलिपि भेजें:

1} सचिव श्रम उत्तराखंड सरकार ।

2} श्रम आयुक्त, उत्तराखंड।

3} क्षेत्र के संबंधित उप श्रम आयुक्त।

प्रपत्र–द

(नियम 47 देखें)

(एक औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली लॉक–आउट की सूचना)

नियोक्ता का नाम.......................................

पता...

दिनांक.....दिन.......20.....

इस कोड में खंड 62 (6) के प्रावधानों के अनुसार मैंध्हम आपको सूचित करते हैं कि लाकआउट के प्रभाव के कारण............. संस्थाओं के विभाग, अनुभाग..... अनुलग्न में वर्णित कारणों के चलते बंद हो जाएंगे।

हस्ताक्षर...............

पद...............

अनुलग्न

कारणों का बयान

प्रतिलिपि भेजें:

(1) पंजिकृत यूनियन के सचिव। यदी कोई हों तो?

(2) सुलह अधिकारी............{यहाँ पर सहायक श्रम आयुक्त/उप श्रम आयुक्त के कार्यालय का पता लिखें

(3) श्रम सचिव उत्तराखंड सरकार.

(4) श्रम आयुक्त उत्तराखंड।

(5) महानिदेशक श्रम ब्यूरो अधिकारी।

प्रपत्र–ध

(नियम 48 और 50 देखें)

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान के तहत किसी नियोक्ता द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली छंटनी/बंद की जाने वाली सूचना

(ऑनलाइन जमा की जानी है। आनलाइन मोड के आभाव में नीचे दिये गये प्रारूप की नकल करके आफलाइन मोड से भी भेज सकते हैं।)

औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम...

कामगार पहचान संख्या...

दिनांक................

(नोट करें: समुचित सरकार को बंदी/छंटनी के लिए सूचना क्रमशः 60 दिन और बंदी/छंटनी के आरम्भ होने से 30 दिन पहले दी जानी चाहिए)

सेवा में,

(i) सचिव श्रम उत्तराखंड सरकार।

(ii) श्रम आयुक्त उत्तराखंड।

(iii) क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त।

1. (छंटनी) (कं) इस संहिता की धारा 70 (C) के अनुसार आपको सूचित किया जाता है कि 'मैंने/हमने' दिनांक.............. कुल........में से........... कामगारों की छटनी करने का निर्णय लिया है।

या

बंदी (ख) इस संहिता के अंतर्गत धारा 74 (1) के अनुसार मैं/हम यहां आपको सूचित करते हैं कि मैं/हमने......................(औद्योगिक स्थापन या उपक्रम का नाम) को दिनांक........से (तारीख/महीना/वर्ष) बंद करने का निर्णय लिया है। उन कामगारों की संख्या जिनकी सेवाओं को उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त किया जाएगा.................................(कामगारों की संख्या) है।

2. छटनी– उपक्रम बंद करने के कारण............................. ....

....

....

3. इस संहिता के अनुसार भाग 70 (।) 75 (1) के अंतर्गत निकाले जाने वाले कामगारों को ...... (तारीख /महीना / साल) एक महीने का वेतन दे दिया गया है।

4. ' मैं ' हम ' घोषणा करते हैं कि संबंधित कार्यकर्ता ' का जो भी बकाया है / होगा ' उनके सभी बकायों का भुगतान मुआवजे के साथ धारा 70 * / धारा 75 * के तहत इस संहिता के अनुसार नोटिस की अवधि से पहले या समाप्ति पर कर दिया जाएगा।

या

'चूंकि वर्तमान में उक्त औद्योगिक स्थापन के संबंध में दिवालिया कार्यवाही चल रही है तो अवस्थापना / उपक्रम / नियोक्ता इसी लिए हम ' संबंधित कानूनों के तहत मुआवजे के साथ सभी देय राशि का भुगतान कर देंगे।

5. (छंटनी) मैं / हम 'घोषित करते हैं कि संबंधित कार्यकर्ता की इस कोड की धारा 71 और धारा 72 के अनुसार ' 'छंटनी होगी।

6. मैं ' / हम ' घोषणा करते हैं कि हमारा कोई भी मामला किसी भी अदालत में लंबित नहीं है। और यदि हुआ भी तो उसका विवरण संलग्न किया गया है।

7. मैं ' / हम ' घोषित करते हैं कि इस नोटिस में मेरे / हमारे द्वारा दी गयी उपरोक्त जान कारी और अनुलग्नक सत्य है इसकी सटीकता के लिए ' हम / ' ' / ' पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और किसी भी मामले में कोई भी तथ्य / सामग्री नहीं दबाई गयी है।

सधन्यवाद

(नियोक्ता का नाम /*** सील के साथ अधिकृत प्रतिनिधि)

(* हड़ताल जो लागू नहीं है।)

(** आंकड़ों और शब्दों दोनों में संकेत संख्या उल्लेखित करें)

(नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की *** कॉपी संलग्न की जाएगी)

प्रतिलिपि भेजें:

(1) डीजी लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालय के लिए, (केवल सांख्यिकीय उद्देश्य के लिए।)

(२) श्रम आयुक्त, उत्तराखंड।

(३) सचिव, श्रम, उत्तराखंड सरकार।

(4) संबंधित क्षेत्र के उप श्रम आयुक्त।

(5) प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों के पंजीकृत युनियनों /अधिकृत प्रतिनिधियों की सूची।

प्रपत्र–न

(नियम 51, 53 देखें)

[औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय X के प्रावधानों के तहत एक नियोक्ता/औद्योगिक प्रतिष्ठान में छंटनी की निरंतरता की अनुमति के लिए राज्य सरकार को अंडरटेकिंग देने के अंतर्गत आवेदन]

(ऑनलाइन जमा किया जाना है। आनलाइन मोड के आभआव में नीचे दिये गये प्रारूप की नकल करते हुए आवेदन आफलाइन मोड से भी भेजा जा सकता है।)

औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम...

कामगार पहचान संख्या...

दिनांक.......

(टिप्पणीः केंद्र सरकार को आवेदन नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार दिया जाएगाः

ले–ऑफः इच्छित ले–ऑफ से कम से कम 15 दिन पहले

पहले के ले–ऑफ की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले ले–ऑफ की निरंतरता

छंटनी– छंटनी की इच्छित तिथि से कम से कम 60 दिन पहले

बंद करने का इरादा बंद होने के कम से कम 90 दिन पहले)

आवेदन भेजेंः

श्रमिक सचिव उत्तराखंड सरकार

1. (ले–ऑफ) (ए)। औद्योगिक संबंध कोड, 2020 की धारा 78 (2) के तहत मैं * / हम * ''ले–ऑफ करने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं ... ... काम करने वाले ** कुल मिलाकर...'' ... – .वर्कर्स ** मेरे ' / हमारे ' प्रतिष्ठान (अनुबंध–I में दिए जाने वाले विवरण) को ....। (तिथि / माह / वर्ष) के प्रभाव से नियोजित किया गया है।

या

' (ले–ऑफ की निरंतरता) (बी) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78 (3) के तहत मैं * / हम * ले–ऑफ जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं। कुल श्रमिकों..... मैं से....

श्रमिकों ** को मेरे * / हमारे * प्रतिष्ठान (अनुबंध– I में दिए जाने वाले विवरण)............ (तिथि / माह / वर्ष) के प्रभाव में नियोजित किया गया है।

या

* (औद्योगिक संबंध कोड, 2020 की धारा 78 (3) के तहत (ख) की निरंतरता (बी), मैं * / हम * इसके तहत ले–ऑफ जारी रखने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं .... कुल श्रमिकों में से................ मेरे (* एनेक्स– I में दिए जाने वाले विवरण) को... *... .. (तिथि / माह / वर्ष) के प्रभाव में श्रमिकों को रखा गया।

या

* (छंटनी) (ब) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79 (2) के तहत मैं * / हम * विवरण के प्रत्यावर्तन की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं .... मेरे प्रभाव में कार्यरत कुल कर्मचारियों में से * / हमारे * प्रतिष्ठान (एनेक्स– I में दिए जाने वाले विवरण) के प्रभाव से......... .. (तिथि / माह / वर्ष)

या

* (बंद) (क) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80 (1) के तहत मैं / हम * आपको सूचित करते हैं कि मैं * / हम * उपक्रम को बंद करने का इरादा रखते हैं.............................. (औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम) (विवरण अनुलग्नक– ৮ में दिया जाएगा) .... (तिथि / माह / वर्ष) के प्रभाव से।

श्रमिकों की संख्या जिनकी सेवाओं को उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त कर दिया जाएगा ....। (श्रमिकों की संख्या)

2. (संबंधित (ले–ऑफ / निरंतरता जारीरखनेके लिए) संबंधित कार्यकर्ता को दिए गए थे ....(तिथि / माह / वर्ष) लिखित रूप में नोटिस के तहत धारा 78 (2) * / धारा 78 (3) * इस कोड का उपयोग हुआ है।

या

* (छंटनी ध बंद) संबंधित कार्यकर्ता (ओं) को ....। (तिथि / माह / वर्ष) को इस कोड की धारा / 9 * / धारा * के तहत आवश्यक एक महीने का नोटिस दिया गया था।

या

* (छंटनी / बंद) करने संबंधित कार्यकर्ता को ....। (तिथि / माह / वर्ष) को इस कोड की धारा /9 * / धारा व० * के तहत आवश्यक एक महीने का नोटिस दिया गया था।

या

* (छंटनी /बंद) करने से संबंधित कार्यकर्ता को। ....। (तिथि / माह / वर्ष) पर इस संहिता की धारा 79 * / धारा 80 * के तहत आवश्यक सूचना के औसत में एक महीने का वेतन दिया जाता है।

3. प्रभावित कार्यकर्ता का विवरण अनुबंध II में है।

4. (छंटनी) मैं * / हम * घोषित करते हैं कि संबंधित कर्मचारी इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में पीछे हट जाएंगे।

5. ''मैं / हम * इस बात की घोषणा करते हैं कि संबंधित कर्मचारियों को * 67 / के तहत धारा 67 (10) * / धारा 79 * / धारा 80 * के साथ पढ़े गए सभी देय और मुवाबजों का भुगतान नोटेस की अवधि से पहले या उसके समाप्त होने तक कर दिया जाएगा।

तथा

* मैं / हम * यह जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान / उपक्रम/ नियोक्ता के संबंध में दिवालिया कार्यवाही चल रही है, और मैं * हम * संबंधित कानूनों के अनुसार मुआवजे के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान कर देंगे।

6. मैं / हम / इस बात की घोषणा करते हैं कि हमारा कोई भी मामला किसी भी अदालत में लंबित नहीं है, और यदि हुआ भी तो उसका विवरण संलग्न है।

7. मैं / हम घोषित करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी /सत्य है / सच है, मैं /हम / इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और किसी भी मामले में कोई भी तथ्य /सामग्री को नहीं दबाया गया था। ।

आपका प्रार्थी

सधन्यवाद

(नियोक्ता का नाम / *** सील के साथ अधिकृत प्रतिनिधि)

(* हड़ताल जो लागू नहीं है)

(** आंकड़ों और शब्द दोनों में संकेत संख्या उल्लेखित करें)

(*** नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रति संलग्न होगी)

अनुलग्नक–I

(कृपया प्रत्येक बिन्दु के विरुद्ध उत्तर दें)

1 पूर्ण डाक पते, ईमेल, मोबाइल और लैंड लाइन के साथ उपक्रम का नाम।

2 उपक्रम करने की स्थिति–

(प) जहां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र / आदि,

(पप) जहां एक निजी लिमिटेड कंपनी /साझेदारी फर्म

(iii) क्या उपक्रम लाइसेंसधारी / पंजीकृत है और यदि ऐसा है तो लाइसेंसिंग/ पंजीकरण प्राधिकरण और लाइसेंस /पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या का नाम।

3 (ए) एमसीए संख्या

(इ) जीएसटीएन नंबर

पिछले तीन वर्षों में किए गए छंटनी / छंटनी का विवरण जिसमें इस तरह के छंटनी / छंटनी की अवधि शामिल है, प्रत्येक छंटनी / छंटनी /छंटनी की निरंतरता में शामिल कर्मचारियों की संख्या

8 किसी भी अन्य प्रासंगिक विवरण, जो छंटनी / बंद होने की निरंतरता पर असर डालते हैं।

अनुलग्नक–II

(प्रभावित कामगारों का विवरण)

एसआई।

कोई UAN / CMPFO का नाम

कार्यकर्ता श्रेणी

(अत्यधिक कुशल /कुशल /अर्ध–कुशल / अकुशल

प्रपत्र–प

(नियम 58 देखें)

इस संहिता के तहत पहली बार अपराध करने वाले कर्मचारी को धारा 89 की उप–धारा (4) के तहत जुर्माने के लिए नोटिस

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 89 की उपधारा 1 के तहत अधोहस्ताक्षरी और कंपाउंडिंग अधिकारी, इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस संहिता के विभिन्न प्रावधान के उल्लंघन के लिए आप पर आरोप लगाया गया हैय –

खंड–1

1. अपराधी कर्मचारी का नाम और पता– .... चलतें)

2. अवस्थापना का पता ....

3. अपराध के विवरण ....

4. उस संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है ... ...

5. अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली आवश्यक राशि ....

खंड–2

आपको इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि जमा करने की सलाह दी जाती है क्योंकि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 (1) के अनुसार अपराध को कम करने के लिए, इस के भाग–प्प् में भरे गए आवेदन के साथ नोटिस स्वीकार्य नहीं है। ।

यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं तो आगे कोई अवसर नहीं दिया जाएगा और धारा ––––––– के तहत अभियोजन भरने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किया जाएगा।

(कंपाउंडिग अधिकारी के हस्ताक्षर

खंड–3

अपराध की कंपाउंडिंग के लिए धारा 89 की उपधारा (4) के तहत आवेदन

1. आवेदक का नाम (नियोक्ता का नाम जिसका उल्लेख होना है। जिसने औद्योगिक संबंध कोड 2020 के तहत अपराध किया है) ....। ....

2. आवेदक का पता ....।

3. अपराध के विवरण ....

4. उस संहिता की धारा जिसके तहत अपराध किया गया है ....

5. जमा की गई राशि का विवरण (संलग्न किए जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त रसीद)

....

6. उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए दायर अभियोजन का विवरण दिया जा सकता है ....

7. क्या यह आवेदक का पहला अपराध है या फिर उसने इस अपराध से पहले भी कोई अन्य अपराध किया था? यदि प्रतिबद्ध है तोअपराध का पूरा विवरण .... ।

.... । ....

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता है .... ।

....

....

प्रपत्र–फ

(नियम 60 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के तहत शिकायत)

सुलह अधिकारी / मध्यस्थ / न्यायाधिकरण या राज्य न्यायाधिकरण.........................के समक्ष

इस विषय में..........................संदर्भ संख्या..

क...................................शिकायतकर्ता

बनाम

ख.......................................प्रतिवादी पक्ष

पताः

याचिकाकर्ता ने शिकायत करने के लिए मांग की कि विपक्षी पार्टी (..........)

औद्योगिक सम्बन्ध की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी है जैसा कि नीचे दिखाया गया हैः

(यहां कथित तौर पर उल्लिखित तरीके को दिखाया गया है जिसमें कथित रूप से उल्लंघन हुआ है और प्रबंधन के आदेश या कार्य को चुनौती दी गई है।)

शिकायतकर्ता तदनुसार प्रार्थना करता है कि सुलह अधिकारी /पंचायत / औद्योगिक न्यायाधिकरण या राज्य ट्रिब्यूनल ऊपर उल्लिखित शिकायत को तय करने और आदेश पारित करने की कृपा करे क्योंकि यह उचित है।

औद्योगिक संबंध संहिता के नियम 91 के तहत प्राप्त शिकायत की प्रतियों की संख्या और इसके अनुलग्नक को इसके साथ प्रस्तुत किया जाता है।

यह दिनांक .... का दिन ....20 .... है। शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं पूरी तरह से घोषणा करता हूं कि पैराग्राफ में क्या कहा गया है .... .वह सच है

ज्ञान और जो पैराग्राफ में बताया गया है .... .भार को प्राप्त जानकारी पर कहा गया है और मेरे द्वारा विश्वास किया जाता है कि यह सच है।

इस सत्यापन पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ...

हस्ताक्षर

या सत्यापन करने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान